RNI No. MAHBIL /2009/31746

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक १५] गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ८-१४, २०१९/श्रावण १७-२३, शके १९४१ [पृष्ठे १०८

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३, सन २०१७.— महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७	२

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2017.

THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १५ जून, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLIII OF 2017.

AN ACT TO MAKE PROVISIONS FOR LEVY AND COLLECTION OF TAX ON INFRA-STATE SUPPLY OF GOODS, OR SERVICES OR BOTH, IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १५ जून, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में माल या, सेवाओं या, दोनों के अंतरराज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में माल या, सेवाओं या, दोनों के अंतरराज्यीय प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना इष्टकर है ;

इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में एतद्द्वारा, यह अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

अध्याय एक

प्रारंभिक.

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, नियत करें :

परंतु, इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

सन् १८८२ का ४।

(१) " अनुयोज्य दावे " का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, १८८२ की धारा ३ में समनुदेशित है ;

(२) " परिदान का पता " का तात्पर्य, माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसे, पता से अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(३) " अभिलेख पर का पता " का तात्पर्य, पाने वाले का वह पता से अभिप्रेत है, जो प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(४) " न्यायनिर्णायक प्राधिकारी " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी से है, किंतु, इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण शामिल नहीं है ;

(५) " अभिकर्ता " का तात्पर्य, फेक्टर, कमीशन दलाल, अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(६) " सकल आवर्त " का तात्पर्य, सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अखिल भारतीय आधार पर संगणित सामान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य से अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(७) " कृषक " का तात्पर्य, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब से अभिप्रेत है, जो,—

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा, भूमि पर खेती करता है;

(८) " अपील प्राधिकारी " का तात्पर्य, अपीलों की सुनवाई के लिए धारा १०७ में यथानिर्दिष्ट नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी से अभिप्रेत है ;

(९) " अपील अधिकरण " का तात्पर्य, धारा १०९ में निर्दिष्ट माल और सेवा कर अपील अधिकरण से अभिप्रेत है ;

(१०) " नियत दिन " का तात्पर्य, उस दिनांक से अभिप्रेत है जिस दिनांक को इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(११) " निर्धारण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वत:निर्धारण, पुन:निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धी के अनुसार निर्धारण भी है ;

(१२) " सहयुक्त उद्यमों " का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा ९२क में समनुदेशित है ; सन् १९६१ का ४३।

(१३) " संपरीक्षा " का तात्पर्य, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा से अभिप्रेत है ;

(१४) " प्राधिकृत बैंक " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम या संग्रहण करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा से अभिप्रेत है ;

(१५) " प्राधिकृत प्रतिनिधि " का तात्पर्य, धारा ११६ के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि से अभिप्रेत है ;

(१६) " बोर्ड " का तात्पर्य, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, १९६३ के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से अभिप्रेत है ; सन् १९६३ का ५४।

(१७) " कारबार " में निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, साहसी उद्यम, पद्यम (वेजर) या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो ;

(ख) उप-खंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उप-खंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन ;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही सुविधाओं या फायदों वाले किसी निकाय द्वारा उसके सदस्यों के लिए (किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) कोई व्यवस्था ;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गई सेवाएँ ;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएँ या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति ; और

(झ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए है ;

(१८) " कारबार शीर्षक " का तात्पर्य, किसी ऐसे उद्यम का विशिष्ट संघटक से अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागम के अध्यधीन है, जो उन अन्य कारबार शीर्षकों से भिन्न है ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे घटक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसा माल या सेवाएँ, जिनसे संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,—

(क) माल या सेवाओं का स्वरूप ;

(ख) उत्पादक प्रक्रियाओं का स्वरूप ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियाँ ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण का स्वरूप (उपयुक्त है या नहीं), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएँ हैं ;

(१९) " पूंजी माल " का तात्पर्य, ऐसे माल से अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(२०) " नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जहाँ उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है ;

(२१) " केंद्रीय कर " का तात्पर्य, धारा ९ के अधीन उद्ग्रहीत केंद्रीय माल और सेवा कर से अभिप्रेत है ;

(२२) " उपकर " का वही अर्थ होगा, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में समनुदेशित है ;

सन् १९४९ का ३८। (२३) " चार्टर्ड अकाउंटेड " का तात्पर्य, चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम, १९४९ की धारा २ की उप-धारा (१) के खंड (ख) में यथा परिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेट से अभिप्रेत है ;

(२४) " आयुक्त " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त से अभिप्रेत है और इसमें धारा ३ के अधीन नियुक्त राज्य कर का प्रधान आयुक्त और मुख्य आयुक्त भी सम्मिलित हैं ;

(२५) " बोर्ड का आयुक्त " का तात्पर्य, धारा १६८ में निर्दिष्ट आयुक्त से अभिप्रेत है ;

(२६) " सामूहिक पोर्टल " का तात्पर्य, धारा १४६ में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल से अभिप्रेत है ;

(२७) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में " सामान्य कार्य दिवस " का तात्पर्य, लगातार ऐसे दिन से अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा **राजपत्रित** छुट्टी घोषित नहीं किया गया है ;

सन् १९८० का ५६। (२८) " कंपनी सचिव " का तात्पर्य, कंपनी सचिव अधिनियम, १९८० की धारा २ की उप-धारा (१) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कंपनी सचिव से अभिप्रेत है ;

(२९) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, ऐसे प्राधिकारी से अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(३०) " संयुक्त प्रदाय " का तात्पर्य, किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई प्रदाय से अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई ऐसा समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतितः बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें एक मूल प्रदाय है ;

दृष्टांत : जहाँ माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहाँ माल का प्रदाय, पैकिंग सामग्री, परिवहन और बीमा संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय एक मुख्य प्रदाय होगा।

(३१) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में " प्रतिफल " के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जहाँ माल या सेवाओं या दोन्हों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायकी सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोन्हों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, किसी कार्य या प्रवरित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी :

परंतु, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे ;

(३२) " माल का निरंतर प्रदाय " का तात्पर्य, माल के ऐसे प्रदाय से अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, प्रदाय भी है ;

(३३) " सेवाओं का निरंतर प्रदाय " का तात्पर्य, सेवाओं का ऐसा प्रदाय से अभिप्रेत है, जो किसी संविधा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है ;

(३४) " वाहन " के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है ;

(३५) " लागत लेखापाल " का तात्पर्य, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, १९५९ की धारा २ की उप-धारा (१) के खंड (ग) में यथा परिभाषित कोई लागत लेखापाल से अभिप्रेत है ; १९५९ का २३।

(३६) " परिषद " का तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद २७९क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद से अभिप्रेत है ;

(३७) " जमापत्र " का तात्पर्य, धारा ३४ उप-धारा (१) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज से अभिप्रेत है ;

(३८) " नामे नोट " का तात्पर्य, धारा ३४ की उप-धारा (३) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज से अभिप्रेत है ;

(३९) " समझा गया निर्यात " का तात्पर्य, माल का ऐसा प्रदाय से अभिप्रेत है, जिसे धारा १४७ के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

(४०) " अभिहित प्राधिकारी " का तात्पर्य, ऐसे प्राधिकारी से अभिप्रेत है, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(४१) " दस्तावेज " के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० की धारा २ के खंड (न) में यथा परिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी है ; सन् २००० का २१।

(४२) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" (ड्रॉबॅक) का तात्पर्य, ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित इनपुट पर या किसी घरेलू इनपुट या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर की छूट से अभिप्रेत है ;

(४३) " इलैक्ट्रानिक नकद खाते " का तात्पर्य, धारा ४९ की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक नकद खाता से अभिप्रेत है ;

(४४) " इलैक्ट्रानिक वाणिज्य " का तात्पर्य, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय से अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत डिजिटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी हैं ;

(४५) " इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक " का तात्पर्य, ऐसे कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो ;

(४६) " इलैक्ट्रानिक जमा खाते " का तात्पर्य, धारा ४९ की उप-धारा (२) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक जमा खाता से अभिप्रेत है ;

(४७) " छूट प्राप्त प्रदाय " का तात्पर्य, ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय से अभिप्रेत है, जिसकी, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ६ के अधीन कर की दर शून्य हो या जिसे धारा ११ के अधीन कर से पूरी छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर-कराधेय प्रदाय भी है ;

(४८) " विद्यमान विधि " का तात्पर्य, माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम से अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली संसद् या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ;

(४९) " कुटुंब " का तात्पर्य, निम्न से अभिप्रेत है,—

(एक) व्यक्ति का पति या पत्नी और बालक ; और

(दो) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातमह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है ;

(५०) " नियत स्थापन " का तात्पर्य, कोई ऐसा स्थान से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का प्रदाय करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए मानव और तकनीकी संसाधनों के निबंधनानुसार स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की पर्याप्त डिग्री द्वारा विशिष्टता का वर्णन किया गया है ;

(५१) " निधि " का तात्पर्य, धारा ५७ के अधीन स्थापित ग्राहक कल्याण निधि से अभिप्रेत है ;

(५२) " माल " का तात्पर्य, मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति से अभिप्रेत है, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी घास और वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक किए जाने का करार किया गया है ;

(५३) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से अभिप्रेत है ;

सन् २०१७ का १५। (५४) " माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम " का तात्पर्य, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, २०१७ से अभिप्रेत है ;

(५५) " माल और सेवा कर व्यवसायी " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जिसका धारा ४८ के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है ;

सन् १९७६ का ८०। (५६) " भारत " का तात्पर्य, संविधान के अनुच्छेद १ में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, १९७६ में यथा निर्दिष्ट ऐसे सागर-खंडों, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य सामुद्रिक क्षेत्र के नीचे का समुद्र तल और अवमृदा और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र से अभिप्रेत है ;

सन् २०१७ का १३। (५७) " एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम " का तात्पर्य, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ से अभिप्रेत है ;

(५८) " एकीकृत कर " का तात्पर्य एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदग्रहीत एकीकृत माल और सेवा कर से अभिप्रेत है ;

(५९) " निवेश " का तात्पर्य, कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल से अभिप्रेत हैं ;

(६०) " इनपुट सेवा " का तात्पर्य, कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा से अभिप्रेत हैं ;

(६१) " इनपूट सेवा वितरक " का तात्पर्य, माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय से अभिप्रेत हैं, जो इनपूट सेवाओं की प्राप्ति के प्रति धारा ३१ के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता हैं और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है ;

(६२) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, " इनपुट कर " का तात्पर्य, माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर से अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर ;

(ख) धारा ९ की उप-धारा (३) और उप-धारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (३) और उप-धारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ९ की उप-धारा (३) और उप-धारा (४) के उपबंधों के अधीन संदेय कर ;

किंतु, इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं हैं ;

(६३) " इनपुट कर प्रत्यय " का तात्पर्य, इनपुट कर का प्रत्यय से अभिप्रेत हैं ;

(६४) " माल का अंतरराज्यिक प्रदाय " का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ८ के अर्थ से समनुदेशित है ;

(६५) " सेवाओं का अंतरराज्यिक प्रदाय " का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ८ के अर्थ से समनुदेशित है ;

(६६) " बीजक " या " कर बीजक " का तात्पर्य, धारा ३१ में निर्दिष्ट कर बीजक से अभिप्रेत है ;

(६७) किसी व्यक्ति के संबंध में " आवक प्रदाय " का तात्पर्य, क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति से अभिप्रेत है ;

(६८) " छुटपुट कार्य " (जॉब वर्क) का तात्पर्य, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया से अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(६९) " स्थानीय प्राधिकारी " का तात्पर्य, निम्न से अभिप्रेत हैं,—

(क) संविधान के अनुच्छेद २४३ के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई " पंचायत " ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद २४३त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई " नगरपालिका " ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति, कोई जिला परिषद, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए करने का हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

(घ) छावनी अधिनियम, २००६ की धारा ३ में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड ; सन् २००६ का ४१।

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद ३७१ के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद ३७१क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(७०) " सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान " का तात्पर्य,—

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान के अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापना अन्यत्र है), वहां ऐसे नियत स्थापना के अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापना के अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान के अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(७१) " सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान से ",—

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान के अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (नियत स्थापना अन्यत्र), वहां ऐसे नियत स्थापना के अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापना से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापना के अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान से अभिप्रेत है ;

(७२) " विनिर्माण " का तात्पर्य, कच्ची सामग्री या निवेश का ऐसी रीति से प्रसंस्करण से अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और " विनिर्माता " पद का तद्नुसार, अर्थ लगाया जाएगा ;

(७३) " बाजार मूल्य " का तात्पर्य, ऐसी पूरी रकम से अभिप्रेत होगी, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है ;

(७४) "मिश्रित प्रदाय" का तात्पर्य, किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय से अभिप्रेत हैं, जहां ऐसे प्रदाय से कोई संयुक्त प्रदाय गठित नहीं होता है।

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय होगा । इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा। यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा ;

(७५) "धन" का तात्पर्य, भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, मुजरा पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लिखत से अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विषयक मूल्य है ;

सन् १९८८ का ५९।

(७६) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, १९८८ की धारा २ के खंड २८ के अर्थ से समनुदेशित है ;

(७७) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

(७८) "गैर-कराधेय प्रदाय" का तात्पर्य, माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय से अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उदग्रहीत नहीं है ;

(७९) "गैर-कराधेय राज्यक्षेत्र" का तात्पर्य, ऐसे राज्यक्षेत्र से अभिप्रेत है, जो कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर है ;

(८०) "अधिसूचना" का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित कोई अधिसूचना से अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार, अर्थ लगाया जाएगा ;

(८१) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड ११४ के उप-खंड (क) से उप-खंड (ङ) में निर्दिष्ट हैं ;

(८२) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में, "आउटपुट कर" का तात्पर्य, उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर से अभिप्रेत है, किंतु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेश कर को अपवर्जित किया गया है ;

(८३) कराधेय व्यक्ति से संबंध में, "जावक प्रदाय" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय से अभिप्रेत है ;

(८४) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) कोई व्यष्टि ;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(ग) कोई कंपनी ;

(घ) कोई फर्म ;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;

(छ) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २ के खंड ४५ में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी ; सन् २०१३ का १८।

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निर्गमित कोई निर्गमित निकाय ;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसायटी ;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;

(ठ) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ; सन् १८६० का २१।

(ड) न्यास ; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

(८५) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) वह स्थान, जहां से मामूली तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

(८६) "प्रदाय का स्थान" का तात्पर्य, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय ५ में यथानिर्दिष्ट प्रदाय के से स्थान अभिप्रेत है ;

(८७) "विहित" का तात्पर्य, परिषद की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से अभिप्रेत है ;

(८८) "कर्ता" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जिसकी और से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(८९) "कारबार का मुख्य स्थान" का तात्पर्य, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार के स्थान से अभिप्रेत है ;

(९०) "मुख्य प्रदाय" का तात्पर्य, ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय से अभिप्रेत है, जिसके किसी संयुक्त प्रदाय के मुख्य घटक का गठन होता है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय के भागरूप कोई अन्य प्रदाय आनुषंगिक है ;

(९१) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में, "उचित अधिकारी" का तात्पर्य, केंद्रीय कर का ऐसा आयुक्त या अधिकारी से अभिप्रेत है, जिसके बोर्ड के आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

(९२) "तिमाही" का तात्पर्य, ऐसी अवधि से अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होनेवाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों ;

(९३) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के "प्राप्तिकर्ता" का तात्पर्य,—

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है ;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रुप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा ;

(९४) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

(९५) "विनियम" का तात्पर्य, सरकार द्वारा परिषद की सिफारिश पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम से अभिप्रेत हैं ;

(९६) माल के संबंध में, "हटाए जाने" का तात्पर्य,—

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण से अभिप्रेत है ; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल के संग्रहण से अभिप्रेत है ;

(९७) "विवरणी" का तात्पर्य, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विहित या उससे अन्यथा कोई विवरणी से अभिप्रेत है ;

(९८) "प्रतिलोम प्रभार" से धारा ९ की उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बनाए माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व से अभिप्रेत है ;

(९९) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" का तात्पर्य, धारा १०८ में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी से अभिप्रेत है ;

(१००) "अनुसूची" का तात्पर्य, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से अभिप्रेत है ;

(१०१) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २ के खंड (ज) के अर्थ से समनुदेशित है ; सन् १९५६ का ४२।

(१०२) "सेवाओं" का तात्पर्य, माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कोई वस्तु से अभिप्रेत है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, सम्मिलित से संबंधित क्रियाकलाप हैं ;

(१०३) "राज्य" का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से अभिप्रेत है ;

(१०४) "राज्य कर" का तात्पर्य, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर से अभिप्रेत है ;

(१०५) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" का तात्पर्य, उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाले व्यक्ति से अभिप्रेत होगा और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की और से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा ;

(१०६) "कर अवधि" का तात्पर्य, ऐसी अवधि से अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है ;

(१०७) "कराधेय व्यक्ति" का तात्पर्य, कोई ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है, जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;

(१०८) "कराधेय प्रदाय" का तात्पर्य, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय से अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है ;

(१०९) "कराधेय राज्यक्षेत्र" का तात्पर्य, ऐसे राज्यक्षेत्र से अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू है ;

(११०) "दूर संचार सेवा" का तात्पर्य, किसी प्रकार की ऐसी सेवा से अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मेल आवाज मेल, डाटा सर्विस, आडियो टेक्सी सर्विस, वीडीयो टेक्सी सर्विस, रेडियो पैगिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी है) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ;

(१११) "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" का तात्पर्य, संबंधित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ अभिप्रेत है ; सन् २०१७ का १२।

(११२) "राज्य में के आवर्त" या "संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त" का तात्पर्य, किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोंनो के निर्यात और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से किया गया माल या सेवाओं या दोनों का अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य से अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(११३) "निवास का प्रायिक स्थान" का तात्पर्य,—

(क) किसी व्यक्ति के मामले में ऐसा स्थान से अभिप्रेत है, जहॉ वह मामूली तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य मामलों में, ऐसे स्थान से अभिप्रेत है, जहाँ व्यष्टी निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(११४) "संघ राज्यक्षेत्र" से,–

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नगर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र, का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

(११५) "संघ राज्यक्षेत्र कर" का तात्पर्य, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उद्गृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर से अभिप्रेत है ;

सन् २०१७ का १४।

(११६) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" का तात्पर्य, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम से २०१७ से अभिप्रेत है ;

(११७) "विधिमान्य विवरणी" का तात्पर्य, धारा ३९ की उप-धारा (१) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी से अभिप्रेत है ; जिस पर स्वतः निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है ;

(११८) "वाऊचर" का तात्पर्य, कोई ऐसी लिखत से अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहाँ प्रदाय किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी है ;

(११९) "कार्य संविदा" का तात्पर्य, जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा से अभिप्रेत है ;

(१२०) उन शब्दो और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में है ;

अध्याय दो

प्रशासन

इस अधिनियम के अधीन के अधिकारी।

३. सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों के वर्गों को नियत करेगी, अर्थात् :—

(क) राज्य कर आयुक्त ;

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;

(ग) राज्य कर के अपर आयुक्त ;

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;

(ङ) राज्य कर उपायुक्त आयुक्त ;

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त ; और

(छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

परंतु महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी समझा जाएगा। सन् २००५ का महाराष्ट्र ९।

अधिकारियों की नियुक्ति।

४. (१) सरकार धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हे वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे।

(२) आयुक्त को, संपूर्ण राज्य की अधिकारिता होगी, विशेष आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त को उसमें समनुदेशित सभी या किन्ही कृत्यों के संबंध में संपूर्ण राज्य पर या जहाँ राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे कि इसके किसी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता होगी और सभी अन्य अधिकारियों की उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों के अध्यधीन संपूर्ण राज्य या जैसा आयुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ऐसे स्थानीय क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी।

अधिकारियों की शक्तियाँ।

५. (१) **राज्य** कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो **आयुक्त** अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(२) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(३) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजना कर सकेगा ।

(४) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य केंद्रीय कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण।

६. (१) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रुप में प्राधिकृत होंगे ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रूप में भी आदेश दे सकेगा ;

(ख) जहां राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहाँ उचित अधिकारी द्वारा उसी विषय वस्तु पर इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा ।

(३) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी ।

अध्याय तीन

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

प्रदाय की व्याप्ति।

७ (१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" पद में, निम्नलिखित सम्मिलित है.—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या व्ययन जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) अनुसूची दो में यथाविनिर्दिष्ट माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए क्रियाकलाप ।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, जिनमें वे ऐसे लोक प्राधिकारियों, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, के रूप में लगे हुए हैं,

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा ।

(३) उप-धारा (१) और उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हे.—

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में, माना जाएगा ।

संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व।

८. किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित प्रदाय को उस विशिष्ट प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है ।

उद्ग्रहण और संग्रहण।

९. (१) उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के प्रदाय को छोडकर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी अंतरराज्यिक प्रदायों पर, धारा १५ के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(२) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर केंद्रीय कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए ।

(३) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानों वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(४) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में केंद्रीय कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति हैं जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(५) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतरराज्यिक प्रदायों पर कर, यदि सेवाओं का प्रदाय इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से किया जाता है

तो, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु, यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि, कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है, वहां ऐसा इलैक्ट्रानिक प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा।

समझौता उद्ग्रहण।

१०. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा ९ की उप-धारा (३) और उप-धारा (४) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नही है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनो के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,—

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची दो के पैरा ६ के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नही होगी ; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में के आवर्त के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रुपए की उक्त सीमा को एक करोड रुपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए ।

(२) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

(क) वह अनुसूची दो के पैरा ६ के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा ५२ के अधीन स्त्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

परंतु, जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, १९६१ के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नही होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस धारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते है । सन् १९६१ का ४३।

(३) उप-धारा (१) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा ।

(४) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उप-धारा (१) के उपबंध लागू होते है, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा ।

(५) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उप-धारा (१) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा ७३ या धारा ७४ के उपबंध **यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित** कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

कर से छूट देने की शक्ति।

११. (१) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुऐ, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी ।

(२) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।

(३) सरकार, यदि वह उप-धारा (१) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उप-धारा (२) के अधीन जारी आदेश की परिधि या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचना या उप-धारा (२) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंत:स्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था ।

(४) केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उप-धारा (२) के अधीन जारी किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

अध्याय चार

प्रदाय का समय और मूल्य

माल के प्रदाय का समय।

१२. (१) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा ।

(२) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित दिनांकों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :–

(क) धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने का दिनांक या ऐसी अंतिम दिनांक, जिसको उससे प्रदाय की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह दिनांक, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय की बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु, जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपए तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की दिनांक होगा ।

स्पष्टीकरण एक— खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, बीजक या यथास्थिति, संदाय के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण दो— खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी दिनांक, जिसको प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, वह दिनांक होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह दिनांक होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(३) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित दिनांकों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :-

(क) माल प्राप्ति का दिनांक ; या

(ख) संदाय की दिनांक, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है, या वह दिनांक, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक के बदले में कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की दिनांक से तीस दिन के ठीक पश्चातवर्ती दिनांक :

परंतु, जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की दिनांक होगी ।

(४) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने का दिनांक होगी, यदि प्रदाय उस बिंदू पर पहचान योग्य हैं ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की दिनांक होगी।

(५) जहां उप-धारा (२) या उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,—

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह दिनांक होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह दिनांक होगा, जिसको कर संदत्त किया जाता है।

(६) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोडे जाने का है, प्रदाय का समय वह दिनांक होगा, जिसको प्रदायकर्ता मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

सेवाओं के प्रदाय का समय।

१३. (१) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उदभूत होगा।

(२) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित दिनांकों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने का दिनांक, यदि बीजक धारा ३१ की उप-धारा (२) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने का दिनांक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा ३१ की उप-धारा (२) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने का दिनांक इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) वह दिनांक, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) में के उपबंध लागू नहीं होते हैं :

परंतु, जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रुपये तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने का दिनांक होगा।

स्पष्टीकरण—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए—

(एक) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, बीजक या यथास्थिति, संदाय के अंतर्गत आता है ;

(दो) "संदाय प्राप्त करने की दिनांक" वह दिनांक होगा, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह दिनांक होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

(३) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिसके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित दिनांकों से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—

(क) संदाय का दिनांक, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह दिनांक जिसको उसके बँक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बदले में कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने का दिनांक से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती दिनांक :

परंतु, जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नही है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की गई दिनांक होगी :

परंतु यह और कि, सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की गई दिनांक या संदाय का दिनांक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

(४) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,—

(क) वाऊचर जारी करने का दिनांक होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के विमोचन का दिनांक होगा।

(५) जहां उप-धारा (२) या उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं हैं, वहां प्रदाय का समय,—

(क) उस मामले में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह दिनांक होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, वह दिनांक होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है।

(६) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोडे जाने का है, प्रदाय का समय वह दिनांक होगा, जिसको प्रदायकर्ता मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।

माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन ।

१४. धारा १२ या धारा १३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां प्रदाय के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि कर के दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया गया है, उस मामले में,—

(एक) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति का दिनांक या बीजक जारी करने की दिनांक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ;

(दो) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय बीजक जारी करने का दिनांक होगा ; या

(तीन) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय की प्राप्ति का दिनांक होगा ;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किए जाने की दशा में,—

(एक) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति का दिनांक होगा ;

(दो) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की दिनांक या बीजक जारी करने का दिनांक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ; या

(तीन) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया गया है, किंतु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय, बीजक जारी करने का दिनांक होगा :

परंतु, संदाय प्राप्त होने का दिनांक, बैंक खाते में जमा करने का दिनांक होगा यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन का दिनांक से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, '' संदाय के प्राप्त होने का दिनांक '' वह दिनांक होगा, जिसको प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह दिनांक होगा, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।

कराधेय प्रदाय का मूल्य।

१५. (१) जहां प्रदायकर्ता या प्रदाय का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और प्रदाय के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है।

(२) प्रदाय के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्ग्रहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि प्रदायकर्ता द्वारा पृथक रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका प्रदायकर्ता, ऐसे प्रदाय के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किंतु जो प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) किसी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से प्रदायकर्ता द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैकिंग करना भी है, माल या सेवाओं के प्रदाय के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम ;

(घ) किसी प्रदाय के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति ; और

(ङ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षतः जुडी हुई सहायिकियां।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम ऐसे प्रदायकर्ता के, जो सहायिकी प्राप्त करता है, प्रदाय के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा।

(३) प्रदाय के मूल्य में किसी को ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,—

(क) प्रदाय के पूर्व या प्रदाय के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे प्रदाय के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है ; और

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,—

(एक) ऐसी छूट, एसे प्रदाय के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुडी हुई है ; और

(दो) इनपुट कर प्रत्यय, जिसे प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्ताऐवज के आधार पर छूट माना गया है, जिसे प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उलट दिया गया है।

(४) जहां उप-धारा (१) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

(५) उप-धारा (१) या उप-धारा (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ऐसे व्यक्तियों को ''संबंधित व्यक्ति'' समझा जाएगा, यदि,—

(एक) ऐसे व्यक्ति किसी अन्य कारबार के अधिकारी या निदेशक है ;

(दो) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार है ;

(तीन) ऐसे व्यक्ति नियोजक या कर्मचारी है ;

(चार) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पच्चीस प्रतिशत या अधिक के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों या उन दोनों पर स्वामित्व, नियंत्रण है या धारण करता है ;

(पाँच) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है ;

(छह) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते है ;

(सात) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते है ;

(आठ) या वे एक ही कुटुंब के सदस्य है.

(ख) ''व्यक्ति'' पद के अंतर्गत विधिक व्यक्तियाँ भी सम्मिलित है ;

(ग) कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के कारबार से सहबद्ध है, जिसमें वह किसी अन्य का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझा जाएगा।

अध्याय पाँच

इनपुट कर प्रत्यय

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्ते।

१६. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा ४९ में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान उसे अग्रसर करने के लिये उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी।

(२) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं माल के संचलन के पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है ;

(ग) धारा ४१ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

(घ) वह धारा ३९ के अधीन विवरणी न दे दे :

परंतु, जहां माल, बीजक के विरूद्ध लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु वह और कि, जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों सें अन्य, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर से रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने का दिनांक से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि, प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेह कर से रकम का उसके द्वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

(३) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, १९६१ के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक कर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। सन् १९६१ का ४३।

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

प्रत्यय और निरुद्ध प्रत्ययों का संभाजन।

१७. (१) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागत: किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागत: अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(२) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागत: इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों को पूर्ण करने के लिए और भागत: उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा ।

(३) उप-धारा (२) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसें प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारी, भूमि विक्रय और अनुसूची २ के पैरा ५ के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा ।

(४) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय कंपनी को, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का प्रदाय करने में लगी हुई है, उप-धारा (२) के उपबंधो का पालन करने का या उस माह के प्रत्ययों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जायेगा :

परंतु, एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि, पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए प्रदायों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा ।

(५) धारा १६ की उप-धारा (१) और धारा १८ की उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :–

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,–

(एक) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–

(क) ऐसे यानों या प्रवहणों के अधिकतर के लिए ; या

(ख) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(ग) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उडान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(दो) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए :–

(एक) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के कारक के रूप में किया जाता है ;

(दो) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र ;

(तीन) किराए की गाडी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,–

(क) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप में किया जाता है ; और

(चार) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे अवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे ।

(ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के और प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है ;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के उपयोग के लिए (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है ।

स्पष्टीकरण.—खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति का पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है ;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा १० के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है ;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा अपलिखित या व्ययनित माल ;

(झ) धारा ७४ धारा १२९ और धारा १३० के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर ।

(६) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसे उप-धारा (१) और उप-धारा (२) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय ४ के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,—

(एक) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण ;

(दो) दूर-संचार टावर ; और

(तीन) कारखाने परिसर के बाहर बिछाई गई पाईप लाईनें।

विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता।

१८. (१) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,—

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, स्टाक में धारित निवेशों और उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जो धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकरण लेने का हकदार है, स्टाक में धारित निवेशों और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा १० के अधीन कर का संदाय नहीं कर रहा है, वहां वह स्टाक में धारित निवेशों, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और उस तारीख से, जिससे वह धारा ९ के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु, पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त प्रदाय कराधेय प्रदाय हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय संबंधित स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और उस तारीख सें, जिसको ऐसा प्रदाय कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु, पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रदाय से संबंधित कर बीजक जारी जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, उसे प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (१) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(३) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिये गये या अंतरित कारबार के उसके इलैक्ट्रानिक निवेश खाते में अनुपयोजित है।

(४) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा १० के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए हैं, वहां वह इलैक्ट्रानिक निवेश खाते या इलेक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशो और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को, ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु, ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात्, उसके इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पडा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

(५) उप-धारा (१) के अधीन प्रत्यय की रकम और उप-धारा (४) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।

(६) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाय, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा १५ के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा ;

परंतु, जहां स्क्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्सरों का प्रदाय किया जाता है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा १५ के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।

छुटपुट काम के लिए किए गए निवेशों और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना।

१९. (१) कर्ता, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट काम के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(२) धारा १६ की उप धारा (२) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्ता निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, निवेशों पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(३) जहां कर्ता को, छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए निवेश भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, धारा १४३ का उपधारा (१) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से उसका प्रदाय नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि कर्ता द्वारा छुटपुट कार्य के लिए ऐसे निवेशों का प्रदाय उस दिन किया गया था, जब उक्त निवेश भेजे गए थे ;

परंतु, जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे निवेश भेजे जाते हैं, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा निवेशों के प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(४) कर्ता, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा।

(५) धारा १६ की उप-धारा २ के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्तापूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(६) जहां कर्ता को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि कर्ता द्वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूंजी माल का प्रदाय उस दिन किया गया था जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परंतु, जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की संगणना की जाएगी।

(७) उप-धारा (३) या उप-धारा (६) में अंतर्विष्ट कोई बात, छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्सरों और औजारों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कर्ता" से धारा १४३ में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति।

२०. (१) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

(२) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का अनुपाततः होगा ;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सुसंगत अवधि",—

(एक) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी ;

(दो) यदि प्रत्यय के कुछह या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस माह के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है ;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस इनपुट सेवा वितरण के रूप में समान स्थायी खाता संख्यांक वाला माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है ;

(ग) इस अधीन के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल के, जो कराधेय नहीं है, प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवी अनुसूची की सूची १ की प्रविष्टि ८४ और उक्त अनुसूची की सूची २ की प्रविष्टि ५१ और प्रविष्टि ५४ के अधीन उद्ग्रहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति ।

२१. जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा २० में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप, प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, धारा ७३ या धारा यथास्थिति, ७४ के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय छह

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति।

२२. (१) किसी राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रुपए से अधिक है :

परंतु, जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रुपए से अधिक है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत दिन से ठिक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होता है या अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत दिन से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(३) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा के लेखे अंतरित किया जाता है, अंतरिति या उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार के दिनांक से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा।

(४) उप-धारा (१) और (३) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जैसा भी मामला हो, स्कीम की मंजूरी या समामेलन के लिए ठहराव या अंतरण की दशा में उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कंपनियों के निर्विलयन के मामले, अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश के प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) अभिव्यक्ति " संकलित व्यापारवर्त " में कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी पूर्ति, चाहे उसके अपने लेखे के रूप में या उसके सभी मालिकों की और से सम्मिलित है ;

(दो) रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार द्वारा फुटकर-काम पूर्ण करने के पश्चात्, मालों की आपूर्ति, धारा १४३ के निर्दिष्ट मालिक द्वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों में रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार का संकलित व्यापारवर्त सम्मिलित नहीं होगा ;

(तीन) अभिव्यक्ति " विशेष प्रवर्ग राज्यों " से संविधान के अनुच्छेद २७९ के खंड (४) के उपखंड (छह) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।

व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हैं।

२३. (१) निम्नलिखित व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नही होंगे, अर्थात् :—

(क) कोई व्यक्ति जो ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार मे अनन्य रुप से लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

(ख) कृषक, भूमि की खेती उपज की पूर्ति के विस्तार तक।

(२) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिनियम द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण।

२४. धारा २२ की उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,—

(एक) व्यक्तियाँ जो अंतरराज्यिक कराधेय पूर्ति करते है ;

(दो) कराधेय पूर्ति करनेवाले अकस्मिक कराधेय व्यक्ति ;

(तीन) व्यक्तियाँ जिससे आरक्षित प्रभार के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है ;

(चार) व्यक्तियाँ जिनसे धारा ९ की उप-धारा (५) के अधीन कर अदा करना अपेक्षित है;

(पाँच) कराधेय पूर्ति करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;

(छह) व्यक्तियाँ जिनसे धारा ५१ के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं ;

(सात) व्यक्तियाँ जो, चाहे अभिकर्ता के रुप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की और से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति करते है ;

(आठ) इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ;

(नौ) व्यक्ति जो धारा ९ की उप-धारा (५) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्ति से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों की ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा ५२ के अधीन स्त्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से पूर्ति करता है ;

(दस) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य ऑपरेटर ;

(ग्यारह) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटा आधारित पहुँच या सुधार सेवाओं भारत मे किसी व्यक्ति की पूर्ति करता है ;

(बारह) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए।

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया।

२५. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस दिनांक, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु, आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.— प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से प्रदाय करता है, ऐसे तटीय राज्य, जहां राज्य में समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले कोई व्यक्ति को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु, एक राज्य में बहुत कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।

(३) कोई व्यक्ति जो धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छा रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

(४) एक व्यक्ति जिसमें एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण ऐसे चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रुप में माना जाएगा।

(५) जहाँ एक व्यक्ति जिसने एक स्थापन की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापन है, तब ऐसे स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनों के रुप में माना जाएगा।

सन १९६१ का ४३।

(६) प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए प्राप्त होने के लिए आय-कर अधिनियम, १९६१ के अधीन जारी स्थायी खाता क्रमांक रखना होगा :

परंतु, व्यक्ति जिससे धारा ५१ के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता क्रमांक के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता क्रमांक रख सकेगा।

(७) उप-धारा (६) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाए के आधार पर उप-धारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है ।

(८) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के विफल हो जाता है, उचित अधिकारी कोई कारवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में रजिस्ट्रर करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(९) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) संयुक्त राष्ट संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ के अधीन अधिसूचित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसल-कार्यालय या राजदूतावास ; और सन् १९४७ का ४६।

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियाँ का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों का सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित पूर्ति पर, करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा।

(१०) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या, ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा।

(११) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररुप में जारी किया जायेगा और ऐसी दिनांक से लागू होगा, जो विहित किया जाए।

(१२) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान क्रमांक उप-धारा १० के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक द्वारा उस अवधि के भीतर कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है।

समझा गया रजिस्ट्रीकरण।

२६. (१) राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान क्रमांक का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान क्रमांक के लिए आवेदन धारा २५ की उप-धारा (१०) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान क्रमांक का प्रदान किया गया समझा जाएगा।

(२) धारा २५ की उप-धारा (१०) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान क्रमांक के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया गया समझा जाएगा।

आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध।

२७. (१) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्, कराधेय पूर्ति करेगा :

परंतु, उचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढा सकेगा ।

(२) एक आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा २५ की उप-धारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु, जहाँ उप-धारा (१) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निक्षेप करेंगे।

(३) उप-धारा (२) के अधीन निक्षेप की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा ४९ के अधीन उपबंधित रीति में उपयोग किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का संशोधन।

२८. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान क्रमांक समनुदेशित की गई है रजिस्ट्रेशन के समय का तत्पश्चात्, ऐसे प्ररुप रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दी गई सूचना मे किसी परिवर्तन को उचित अधिकारी को सूचित करेगा।

(२) उचित अधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु, ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएँ, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु, यह और कि, उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को किसी व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा ।

(३) यथास्थिति, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदन, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।

२९. (१) उचित अधिकारी, या तो **स्वप्रेरणा** से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहाँ,—

(क) कारबार किन्हीं कारणों जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया है ;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ग) धारा २५ की उप-धारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कराधेय व्यक्ति, धारा २२ या धारा २४ के अधीन इससे अधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा ।

(२) उचित अधिकारी, ऐसा दिनांक जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी दिनांक से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहाँ,—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जैसा विहित किया जाए, ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है ; या

(ख) धारा १० के अधीन कर अदा करने वालें व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है ; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह माह की अवधि तक विवरणी नहीं दी है ; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा २५ की उप-धारा (३) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है रजिस्ट्रीकरण की दिनांक से छह माह के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया गया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है :

परंतु, उचित अधिकारी, किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(३) ऐसी धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति के कर अदा करने के दायित्व पर और इस अधिनियम के अधीन अन्य शोध्य या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दकरण की दिनांक से पहले किसी अवधि के लिए, चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दकरण की दिनांक से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

(४) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा ।

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में विकलन के माध्यम से ऐसी रकम का संदाय करेगा जो रद्दकरण की ऐसे दिनांक से ठीक पूर्व दिन को स्टाक में धारित निवेश के संबंध में इनपुट कर और स्टाक में धारित अर्द्ध-तैयार या तैयार माल में अंतर्विष्ट निवेश या पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी या ऐसी रीति में, जो विहित की जाए प्रकल्पित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर प्रत्यय के समतुल्य है :

परंतु, पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा १५ के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा ।

(६) उप-धारा (५) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से परिकलत की जाएगी ।

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण ।

३०. (१) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएँ, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(२) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो आदेश द्वारा विहित की जाए, या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परंतु, रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा ।

(३) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा ।

अध्याय सात

कर बीजक, जमा-बाकी और नामे-पत्र

कर बीजक ।

३१. (१) कराधेय मालों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे समय से पहले या उस पर,—

(क) प्राप्तिकर्ता की पूर्ति, जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाएगा ; या

(ख) किसी अन्य मामलें में, मालों का परिदान करेगा या प्राप्तिकर्ता को उसको उपलब्ध कराएगा, वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएँ, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु, सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समय में और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, मालों या पूर्तियों के प्रवर्गों जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनर्दिष्ट कर सकेगी ।

(२) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सेवाओं के उपबंध के पूर्व या पश्चात् परंतुक विहित अवधि के भीतर वर्णन, परिमाप और मालों के मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो विहित की जाएँ, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परंतु, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए संगठनों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में—

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा ; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं हो ।

(३) उप-धारा (१) और उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक से एक माह के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी दिनांक से, उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की दिनांक तक, प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए, मालों या सेवाओं या दोनों पूर्तियों का मूल्य दो सौ रुपए से कम है ;

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा १० के उपबंधों के अधीन कर अदा करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टिताएँ अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक बिल जारी करेगा :

परन्तु, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रदाय का बिल जारी नहीं करेगा, यदि प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोन्हों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, जो दो सौ रुपए से कम है ;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट, जो विहित की जाए, कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा ;

(ङ) जहाँ, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परंतु पश्चात्वर्ती कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसमें संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा (९) की उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदात्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा ;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा (९) की उप-धारा (३) या उप-धारा (४) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, प्रदायकर्ता, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, को संदाय करते समय कोई संदाय वाउचर जारी करेगा ।

(४) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में जहाँ लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहाँ बीजक प्रत्येक ऐसे विवरण के जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा ।

(५) उप-धारा (३) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में,—

(क) जहाँ संदाय का नियत दिनांक की संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहाँ बीजक संदाय की नियत दिनांक को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ख) जहाँ संदाय की नियत दिनांक का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहाँ बीजक जब सेवाओं का प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, के समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ग) जहाँ संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहाँ बीजक उस घटना के पूरा होने के दिनांक को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ।

(६) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति समाप्त हो जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति समाप्त होती है और ऐसा बीजक ऐसी समाप्ति से पूर्व प्रभावित पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा ।

(७) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहा या लिया जा रहा माल पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक आपूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने के दिनांक से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कर बीजक" पद के अंतर्गत पहले की गई पूर्ति के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक होगा ।

कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध ।

३२. (१) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संग्रहीत नहीं करेगा ।

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम।

३३. इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों में कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज, कर की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है प्रमुखतः उपदर्शित करेगा ।

जमा-बाकी और नामे पत्र।

३४. (१) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक प्रभावित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी पूर्ति के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा पूर्ति किए गए माल को वापिस किया जाता है या जहां पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की पूर्ति की है प्रदायकर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा ।

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है, ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा साख पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी पूर्ति की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर माह से अपश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने के दिनांक, जो भी पूर्वतर हो, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा :

परंतु, यदि ऐसी पूर्ति पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(३) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर कर योग्य मूल्य या ऐसी पूर्ति के संबंध में संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की है प्राप्त कर्ता को ऐसी विशिष्टियाँ जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा ।

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामे पत्र के ब्यौरे उस माह की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व ऐसे रीति में जो विहित की जाए में समायोजित करेगा ।

स्पष्टीकरण— इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "नामे पत्र" पद के अंतर्गत पूरक बीजक हैं ।

अध्याय आठ

लेखे और अभिलेख

लेखे और अन्य अभिलेख।

३५. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथावर्णित,—

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति ;

(ग) माल का स्टाक ;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर ; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु, जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार का स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा ।

(२) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा ।

(३) आयुक्त, ऐसे प्रयोजन के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा।

(४) जहाँ आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की दशा में नहीं है, वहाँ वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा ४४ की उप-धारा (२) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

(६) धारा १७ की उप-धारा (५) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (१) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहाँ उचित अधिकारी माल या सेवाओं या दोनों पर संदेय कर की रकम, जिसका लेखा नहीं दिया गया है, अवधारित करेगा, मानों ऐसा माल या सेवाएँ या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा पूर्ति की गई थी और धारा ७३ या यथास्थिति, धारा ७४ के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

लेखों के प्रतिधारण की अवधि।

३६. धारा ३५ की उप-धारा (१) के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत दिनांक से ७२ माह की समाप्ति तक प्रतिधारण करेगा :

परंतु, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय १९ के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐस अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा।

अध्याय नौ

विवरणियाँ

जावक पूर्तियों के ब्यौरे देना।

३७. (१) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा १०, धारा ५१, या धारा ५२, के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक पूर्तियों के ब्यौरे कर अवधि के दौरान उक्त कर अवधि के मास के उत्तरवर्ती १० वें दिन से पूर्व या को देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएँगे :

परंतु, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के ११ वें दिन से १५ वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक पूर्तियों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु आगे यह कि, आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह भी कि, राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा ३८ की उप-धारा (३) के अधीन ब्यौरे या धारा ३८ की उप-धारा (४) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक पूर्तियों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, १७ वें दिन से पूर्व या को इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के १५ वें दिन से पूर्व नहीं तथा उसके द्वारा उप-धारा (१) के अधीन दिए गए ब्यौरे तद्नुसार, संशोधित होंगे।

(३) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसमें किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (१) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु, उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उप-धारा (१) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "जावक पूर्तियों के ब्यौरे" पद के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक पूर्तियों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे है।

आवक पूर्तियों के ब्यौरे देना।

३८. (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यदि अपेक्षित हो, अपनी आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा ३७ की उप-धारा (१) के अधीन संसूचित जावक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा औऱ उसमें ऐसी पूर्तियों, जो धारा ३७ की उप-धारा (१) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई है, के संबंध में प्राप्त आवक पूर्तियों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा।

(२) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियाँ, जिन पर इस अधिनियम के अधीन प्रतिलोम आधार पर कर संदेय है तथा समन्वित माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियाँ या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की धारा ३ के अधीन समन्वित माल और सेवा कर संदेय है तथा कर अवधि के दौरान १० वें दिन के पश्चात् परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती महीने के १५ वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप रीति में जो विहित की जाए, ऐसी पूर्तियों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे देगा :

सन् १९७५ का ५१।

परंतु, आयुक्त, कारणों को लिखत में अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाए, के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु आगे यह कि, केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(३) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के और उप-धारा (२) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए संसूचित किए जाएँगे।

(४) धारा ३९ की उप-धारा (२) या उप-धारा (४) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई पूर्तियों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे।

(५) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसमें किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (२) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा ४२ या धारा ४३ के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु, उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर माह के लिए धारा ३९ के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी देते हुए, जो भी पूर्वतर है, उप-धारा (२) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

विवरणियाँ देना।

३९. (१) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति, या धारा १०, धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंड़र महीने या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक पूर्तियाँ, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य विशिष्टियाँ और ऐसे कलैंड़र महीने या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती महीने के १२ वें दिन से पूर्व या को ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, कोई माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् १८ दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा।

(३) धारा ५१ के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती ऐसे महीने की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, की गई है, की विवरणी इलैक्ट्रानिक रूप में देगा।

(४) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक करयोग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंड़र महीने या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे महीने की समाप्ति के पश्चात् १३ दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंड़र महीने या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंड़र महीने के अंत के पश्चात् २० दिन के भीतर या धारा २७ की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा।

(६) आयुक्त, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियाँ देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु, केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।

(७) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (१) या उप-धारा (२) या उप-धारा (५) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर अंतिम तारीख, जिसको उससे ऐसी विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा।

(८) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई पूर्ति ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं।

(९) धारा ३४ और धारा ३८ के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (१) या उप-धारा (२) या उप-धारा (३) या उप-धारा (४) या उप-धारा (५) के अधीन विवरणी देने के पश्चात् कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस माह या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियाँ ध्यान में आई हैं दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियाँ का सुधार करेगा :

परंतु, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, सितंबर महिने के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख जो भी पूर्वतर हो, के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(१०) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है।

प्रथम विवरणी।

४०. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस दिनांक, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस दिनांक तक जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक पूर्तियाँ की है रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा।

इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति।

४१. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तें और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलैक्ट्रानिक जमा बही में जमा की जाएगी ।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा।

इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना।

४२. (१) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, दिए गए प्रत्येक आवक पूर्ति के ब्यौरे—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ ;

सन् १९७५ का ५१।

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की धारा ३ के अधीन संदत्त समान्वित माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्याय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए, मिलान किया जाएगा।

सन् १९७५ का ५१।

(२) उस आवक पूर्ति, जो तत्स्थानी जावक पूर्ति के ब्यौरों के साथ या उसके द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, १९७५ की धारा ३ के अधीन आयातित माल के संबंध में संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, के संबंध में बीजकों या नामे पत्रों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(३) जहां आवकपूर्ति के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यत उसी पूर्ति के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहा अंतर दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा।

(४) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी।

(५) कोई रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (३) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस महीने की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई, को प्राप्तिकर्ता के उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती महीने की विवरणी आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोडा जाएगा, जो विहित की जाए।

(६) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस महिने जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोडा जाएगा।

(७) प्राप्तिकर्ता, अपने आउटपुट कर दायित्व से उप-धारा (५) के अधीन जोडी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा ३९ की उप-धारा (९) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है।

(८) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (५) या उप-धारा (६) के अधीन कोई रकम जोडी गई है, प्रत्यय लेने की दिनांक से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोडी गई रकम पर धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(९) जहां उप-धारा (७) के अधीन आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उप-धारा (८) के अधीन संदत्त ब्याज का प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड बही में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु, किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(१०) उप-धारा (७) के उपबंधो के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस माह की उसकी विवरणी में जोडा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है

और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोडी गई रकम पर धारा ५० की उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय।

४३. (१) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए बाहर के लिए आपूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के लिए मिलान किया जाएगा–

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धार में इसके पश्चात् प्राप्तिकर्ता कहा गया है) द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए।

(२) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान करता है, को अंतिमः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रदायकर्ता को दी जाएगी।

(३) जहां बाहर के लिए प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी प्रत्यत टिप्पण की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(४) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(५) वह रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (३) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती माह में, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(६) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम, जो दावों की आवर्ती के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवर्ती संसूचित की जाती है।

(७) प्रदायकर्ता, अपने आउटपुट कर दायित्व से उप-धारा (५) के अधीन जोडी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदी प्राप्तिकर्ता अपने प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा ३९ की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है।

(८) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (५) या उप-धारा (६) के अधीन कोई रकम जोडी गई है, इस प्रकार जोडी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की दिनांक से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोडे जाने तक धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(९) जहां उप-धारा (७) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उप-धारा (८) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रदायकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी रोकड बही में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु, किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(१०) उप-धारा (७) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्रदायकर्ता की उस माह की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोडी गई रकम में धारा-५० की उप-धारा (३) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

वार्षिक विवरणी।

४४. (१) इनपुट सेवा वितरक धारा ५१ या धारा ५२ के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के पश्चात् ३१ दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवणी प्रस्तुत करेगा।

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा ३५ की उप-धारा (५) के उपबंधो के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ इलैक्ट्रानिकी रूप में उप-धारा (१) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

अंतिम विवरणी।

४५. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा ३९ की उप-धारा (१) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की दिनांक या रद्द करने के आदेश की दिनांक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन माह के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा।

विवरणी व्यक्तिक्रमियों को सूचना।

४६. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ३९, धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

विलंब फीस का उद्ग्रहण।

४७. (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ३७ या धारा ३८ के अधीन अपेक्षित बहिर्गामी या अंतर्गामी प्रदायों या धारा ३९ या धारा ४५ के अधीन के ब्यौरे सम्यक दिनांक तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का संदाय करेगा।

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् दिनांक तक धारा ४४ या धारा ४५ के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा।

माल और सेवा कर व्यवसायी।

४८. (१) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा अन्य शर्तें, जो उनके कार्य करने के लिए सुसंगत हैं, वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा ३७ के अधीन बहिर्गामी प्रदायों के ब्यौरे धारा ३८ के अधीन अंतर्गामी प्रदायों के ब्यौरे और धारा ३९ या धारा ४४ के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(३) उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्याय दस

कर संदाय

कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय।

४९. (१) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा और ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसे व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में प्रत्यय किया जाएगा।

(२) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्वयं निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का, उसकी इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही, जिसे ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में धारा ४१ के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा।

(३) इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(४) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा।

(५) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में निम्नलिखित के लेखे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की रकम—

(क) एकीकृत कर का, पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, केंद्रीय कर और राज्य कर या, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ख) केंद्रीय कर का पहले उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ग) राज्य कर का पहले उपयोग, राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ङ) केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(६) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही या इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय बही में शेष का धारा ५४ के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा।

(७) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को, इलैक्ट्रानिकी उत्तरदायित्व रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, अनुरक्षण किया जाएगा।

(८) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :—

(क) स्वयं निर्धारित कर और अन्य पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ख) स्वयं निर्धारित कर और अन्य चालू कालावधियों से संबंधित विवरणियों के शोध्य;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा ७३ धारा या धारा ७४ के अधीन अवधारित मांग भी है।

(९) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, से यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पारित कर दिया है।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने के दिनांक को इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में जमा करने का दिनांक समझा जाएगा ;

(ख) अभिव्यक्ति,–

(एक) " कर शोध्य " से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है ; और

(दो) " अन्य शोध्य " से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है।

विलंबित कर संदाय पर ब्याज।

५०. (१) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु, सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं ऐसी दर पर ब्याज का, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, संदाय करेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(३) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा ४२ की उप-धारा (१०) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का असम्यक् या आधिक्य का दावा करता है या धारा ४३ की उप-धारा (१०) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में असम्यक् या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह, ऐसे असम्यक् या, यथास्थिति, आधिक्य दावे या ऐसी असम्यक् या आधिक्य कटौती पर केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा।

स्त्रोत पर कर कटौती।

५१. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार,–

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापना को ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

जिसे इस धारा में इसके पश्चात्, " कटौतीकर्ता " कहा गया है, को प्रदायकर्ता (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् " जिससे कटौती की गई है " कहा गया है) को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा प्रदाय का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी:

परंतु, कोई कटौती, तब नहीं की जाएगी यदि आपूर्ति का स्थान और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रदायकर्ता का स्थान, जो कि प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है।

स्पष्टीकरण.—पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए, आपूर्ति के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को विवर्जित करते हुए रकम के रुप में लिया जाएगा।

(२) इस धारा के अधीन कर के रुप में कटौती की गई रकम का, कटौतीकर्ता द्वारा उस महिने के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा ।

(३) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(४) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिसकी कटौती की जा रही है, को स्त्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात्, सरकार के लिए इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रुपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

(५) जिसकी कटौती की जा रही है वह अपने इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में कटौती किए गए और धारा ३९ की उप-धारा (३) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा करेगा ।

(६) यदि कोई कटौतीकर्ता उप-धारा (१) के अधीन कर के रुप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा ५० की उप-धारा (१) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा ।

(७) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा ७३ या धारा ७४ में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

(८) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उद्भूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिसकी कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय से धारा ५४ के उपबंधों के अनुसरण में व्यौहार किया जाएगा :

परंतु, कटौतीकर्ता को किसी प्रतिदाय को अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम का, जिसकी कटौती की जा रही है, की इलैक्ट्रानिकी रोकड़ बही में प्रत्यय कर दिया गया है ।

स्त्रोत पर कर का संग्रहण।

५२. (१) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् " प्रचालक " कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, एक रकम का संग्रहण करेगा जिसकी संगणना परिषद द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, उसके द्वारा अन्य प्रदायकर्ताओं द्वारा की गई कराधेय प्रदायों के कुल मूल्य का एक प्रतिशत से अनधिक दर पर की जाएगी, जहां ऐसी प्रदायों से संबंध में प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया जाना है ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए धारा ९ की उप-धारा (५) अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न " कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य " से मालों या सेवाओं की कराधेय प्रदायों या दोनों, जिनकी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किसी महीने के दौरान प्रचालक द्वारा आपूर्ति की गई है, से उक्त महीने के दौरान प्रदायकर्ताओं द्वारा वापस लौंटाई गई कराधेय प्रदायों के समग्र मूल्य को घटाकर समग्र मूल्य अभिप्रेत हैं ।

(२) उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति, प्रचालक से वसूली के किसी अन्य ढंग पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव की होगी ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस महीने, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

(४) प्रत्येक प्रचालक, जो उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता हैं, उसके द्वारा किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिनके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा महीने के दौरान उप-धारा (१) के अधीन संग्रहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे महीने के अंत से दस दिन के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(५) प्रत्येक प्रचालक, जो उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके द्वारा की जाने वाली मालों या सेवाओं या दोनों की बहिर्गामी प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा के अधीन संग्रहित रकम के ब्यौंरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् ३१ दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रानिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(६) यदि कोई प्रचालक उप-धारा (४) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात्, उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस महीने जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा ५० की उप-धारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु, ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने को वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर महीने का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् दिनांक या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक दिनांक, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(७) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की है, संग्रहित रकम और उप-धारा (४) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणीं में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपनी इलैक्ट्रानिकी रोकड बही में प्रत्यय का दावा करेगा ।

(८) उप-धारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदायकर्ताओं के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायकर्ताओं के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(९) जहां उप-धारा (४) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायकर्ताओं के ब्यौंरे धारा (३७) के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते हैं तो इस विसंगति की दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संसूचना दी जाएगी ।

(१०) वह रकम, जिसके संबंध में उप-धारा (९) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ताओं द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में, जिसमें विसंगती की संसूचना दी गई थी, ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में वहां ऐसी रीती में, जो विहित की जाए, जोडा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के मूल्य से उस माह के पश्चावर्ती माह की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी, अधिक है ।

(११) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उप-धारा (१०) के अधीन कोई रकम जोडी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में ब्याज सहित कर का संदाय धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर जोडी गई रकम पर उस दिनांक से जिसको ऐसा कर शोध्य था, उसके संदाय की दिनांक तक करेगा ।

(१२) उपायुक्त के रैंक से भिन्न कोई प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों से पूर्व या उनके उपक्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की सूचना की तामील कर सकेगा —

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय ; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों, चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, मालों का स्टाक, जिसका ऐसे प्रचालक द्वारा प्रबंध किया जा रहा है और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसकी कारबार के अतिरिक्त स्थान के रुप में घोषणा की है,

जो सूचना द्ववारा विनिर्दिष्ट किए जाए ।

(१३) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उप-धारा (१२) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील करने के दिनांक से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(१४) कोई व्यक्ति, जो उप-धारा (१२) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा १२२ के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार तक हो सकेगी ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए " संबंधित प्रदायकर्ता " पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाला प्रदायकर्ता अभिप्रेत है ।

इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण।

५३. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर शोध्य के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन धारा ४९ की उप-धारा (५) के उपबंधों के अनुसरण में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग पर जैसा कि धारा ३९ की उप-धारा (१) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शित है, केंद्रीय कर के रुप में संग्रहित रकम को इस प्रकार उपयोग किए गए ऐसे प्रत्यय के बराबर रकम से घटा दिया जाएगा और राज्य सरकार, केंद्रीय कर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरित करेंगी ।

अध्याय ग्यारह

प्रतिदाय

कर प्रतिदाय।

५४. (१) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत दिनांक से दो वर्ष के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :

परंतु, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा ४९ की उप-धारा (६) के उपबंधो के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी रोकड बही में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा ।

(२) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषिकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ) अधिनियम, १९४७ के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दुतावास या कोई अन्य व्यक्तियों का वर्ग जो धारा ५५ के अधीन अधिसूचित है उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोंनो की अंतर्गामी प्रदायों के लिए संदत्त कर का प्रतिदाय करने के लिए ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररुप और रीति में, जो विहित किया जाए, उस तिमाही में, जिसमें आपूर्ति प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह माह के अवसान से पूर्व आवेदन कर सकेगा । सन् १९४७ का ४६।

(३) उप-धारा (१०) के उपबंधो के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

परंतु, निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा —

(एक) कर का संदाय किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय ;

(दो) जहां इनपुट पर कर की दर मद्दे सिवाय मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदायों के जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, बहिर्गामी प्रदायों (शून्य मूल्यांकित या पूर्णतः छूट प्राप्त से भिन्न) पर कर की दर के उच्चतर होने के लेखे संचित हुआ है :

परंतु यह और कि, इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :

परंतु यह भी कि, इनपुट कर प्रत्यय के किसी प्रतिदाय को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता केन्द्रीय कर के संबंध में शुल्क वापसी लेता है या ऐसी प्रदायों पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।

(४) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय शोध्य है ; और

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (जिसके अंतर्गत धारा ३३ में निर्दिष्ट दस्तावेज हैं) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का ऐसे कर पर संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे

प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे एकत्रित किया गया था या उसके द्वारा संदत्त किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज को चूकाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है :

परंतु, जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रुपए से कम है, तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज के चुकाए जाने को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

(५) यदि, किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार, आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा ५७ में निर्दिष्ट निधि में प्रत्यय करेगा ।

(६) उप-धारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के लेखे शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात्, उप-धारा (५) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा ।

(७) समुचित अधिकारी, उप-धारा (५) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(८) उप-धारा (५) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिदेय रकम का निधि में प्रत्यय किए जाने के स्थान पर आवेदक को संदाय किया जाएगा, यदि ऐसी रकम निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य अंकित मालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य अंकित प्रदायों के लिए किया गया है, पर संदत्त कर का प्रतिदाय ;

(ख) उप-धारा (३) के अधीन प्रत्यय किया गया इनपुट कर, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय ;

(ग) आपूर्ति पर संदत्त कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है ;

(घ) धारा ७७ के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा संदत्त कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज को किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया हो ; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् कि सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज ।

(९) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उप-धारा (८) के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(१०) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (३) के अधीन कोई शोध्य है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने की अपेक्षा

है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट दिनांक तक कोई रोक नहीं लगाई है, समुचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या, यथास्थिति, कर, ब्याज या शास्ति का संदाय किए जाने तक शोध्य प्रतिदाय के संदाय को विधारित कर सकेगा ;

(ख) शोध्य प्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी रकम की, जिसका संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन असंदत रहती है, कटौती कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " विनिर्दिष्ट दिनांक " से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने का अंतिम दिनांक अभिप्रेत है ।

(११) जहां किसी प्रतिदाय को देने वाला आदेश किसी अपील या और कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित है और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में दुएकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रुप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, अवधारित कर सकेगा ।

(१२) जहां उप-धारा (११) के अधीन किसी प्रतिदाय को अवविधारित किया गया है तो धारा ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप, वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है ।

(१३) इस धारा में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा २७ की उप-धारा (२) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा ३९ के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी है ।

(१४) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, उप-धारा ५ उप धारा (६) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रुपए से कम है ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(१) " प्रतिदाय " में शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या माने गए निर्यात के रुप मालों की आपूर्ति पर कर प्रतिदाय या उप-धारा (३) के अधीन यथा उपसंबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है ।

(२) " सुसंगत दिनांक " से निम्नलिखित अभिप्रेत है——

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां ऐसे मालों के लिए स्वयं या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,—

(एक) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह दिनांक जिसको पोत या वह वायुमान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(दो) यदि मालों का आयात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह दिनांक जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते है ; या

(तीन) यदि मालों का आयात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की दिनांक ;

(ख) माने गए निर्यात के संबंध में मालों की आपूर्ति की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह दिनांक जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां संदत्त कर का प्रतिदाय, या यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की दिनांक —

(एक) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की आपूर्ति को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; या

(दो) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय को बीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकरण, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, ड्रिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरुप, कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, ड्रिक्री, आदेश या निदेश का दिनांक ;

(ङ) उप-धारा (३) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्तीय वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उदभूत होता है ;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रुप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदाय किया जाता हैं तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन का दिनांक ;

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति का दिनांक ; और

(ज) किसी और दशा में कर के संदाय का दिनांक ।

कतिपय मामलों में प्रतिदाय ।

५५. सरकार परिषद की सिफारशों पर, अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषिकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, १९४७ के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों, जैसा कि विहित किया जाए, के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित आपूर्ति पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे ।

सन् १९४७ का ४६ ।

विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज ।

५६. यदि किसी आवेदक को धारा ५४ की उप-धारा (५) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उप-धारा (१) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के दिनांक के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिनांक के अवसान के पश्चात् के दिनांक से ऐसे कर का प्रतिदाय करने के दिनांक तक ब्याज संदेय होगा :

परंतु, जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसको ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप, पारित आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद की सिफारशों पर अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के अवसान के पश्चात् के दिनांक से ऐसा प्रतिदाय करने की दिनांक तक ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा ५४ की उप-धारा (५) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उप-धारा (५) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

उपभोक्ता कल्याण निधि।

५७. सरकार, उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित का प्रत्यय किया जाएगा—

(क) धारा ५४ की उप-धारा (५) में निर्दिष्ट रकम ;

(ख) निधि में प्रत्यय की गई रकम के विनिधान से कोई आय ; और

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियाँ ।

निधि का उपयोग।

५८. (१) निधि में प्रत्यय की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(२) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा पृथक् अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा ।

अध्याय बारह

निर्धारण

स्वतः निर्धारण ।

५९. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्वतः निर्धारण करेगा और धारा ३९ के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

अनंतिम निर्धारण ।

६०. (१) उप-धारा (२) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह समुचित अधिकारी को अनंतिम आधार पर लिखित में कर के संदाय के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और समुचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के दिनांक से नब्बे दिन से न कि उसके पश्चात् अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के संदाय को अनुज्ञात करेगा ।

(२) अनंतिम आधार पर कर के संदाय को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो समुचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और अनंतिम रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का संदाय करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता हैं ।

(३) समुचित अधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन जारी आदेश की संसूचना के दिनांक से छह महीने से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को गणना में लेने के पश्चात्, अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा :

परंतु, इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह महीने से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(४) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, मालों या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर अनंतिम निर्धारण के अधीन संदेय कर, किंतु जिसका संदाय नियत दिनांक तक धारा ३९ की उप-धारा (७) या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन नहीं किया गया है, पर धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त आपूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने का नियत दिनांक के पश्चात् वास्तविक संदाय का दिनांक तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का संदाय अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या के पश्चात् किया गया हो ।

(५) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा ५४ की उप-धारा (८) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उप-धारा (३) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप, प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो ऐसे संदाय पर धारा ५६ में यथा उपबंधित प्रतिदाय का संदाय किया जाएगा ।

विवरणियों की संवीक्षा ।

६१. (१) समुचित अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों की विवरणी के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आयी विसंगतियाँ, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जैसा कि विहित किया जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

(२) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तद्नुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(३) समुचित अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि, जो उसके द्वारा अनुज्ञात की जाए, में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात उस महीने की विवरणी में, जिसमें विसंगति स्वीकार की गयी थी, सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो समुचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा, जिसके अंतर्गत धारा ६५ या धारा ६६ या धारा ६७ के अधीन कार्रवाइयाँ हैं या धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कर और अन्य शोध्यों का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

विवरणियाँ को फाइल न करने का निर्धारण ।

६२. (१) धारा ७३ या धारा ७४ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहाँ कोई व्यक्ति धारा ३९ या धारा ४५ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में धारा ४६ के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी असफल रहता हैं तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसमें एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा ।

(२) जहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो, उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा ४७ के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा ।

अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण ।

६३. धारा ७३ या धारा ७४ में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहाँ कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी उसे अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा २९ की उप-धारा (२) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया हैं, को गणना में लेने के पश्चात कर के लिए निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिसके लिए असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा ४४ के अधीन विनिर्दिष्ट दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु, व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।

कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण ।

६४. (१) समुचित अधिकारी, उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परंतु, कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की आपूर्ति के संबंध में है तो ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर लेगा और धारा ७३ या धारा ७४ में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अध्याय तेरह

लेखापरीक्षा

कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा।

६५. (१) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जैसा कि विहित किया जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा ।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अधिकारी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे ।

(३) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सूचना के माध्यम से लेखापरीक्षा के संचालन की सूचना दी जाएगी ।

(४) उप-धारा (१) के अधीन लेखापरीक्षा को, लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु, जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है की ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन महीने के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए छह महीने से अनधिक अतिरिक्त कालावधि के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए **"**लेखापरीक्षा का आरंभ**"** से वह दिनांक अभिप्रेत है, जिसको कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ पर, कारबार के स्थान, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों, में उपलब्ध करा दिए जाते है।

(५) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में, प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,–

(एक) लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों की उसकी अपेक्षानुसार सत्यापन के लिए उसे आवश्यक सुविधा प्रदान करना ;

(दो) उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की।

(६) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर समुचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा।

(७) जहां उप-धारा (१) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रुप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कारवाई आरंभ करेगा।

विशेष लेखापरीक्षा।

६६. (१) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्य अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रुप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा।

(२) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट उक्त सहायक आयुक्त को उसमें अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा :

परंतु, सहायक आयुक्त उसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा।

(३) उप-धारा (१) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन की गई है।

(४) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उप-धारा (१) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध मे सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(५) उप-धारा (१) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा अवधारण और संदाय किया जाएगा तथा ऐसा अवधारण अंतिम होगा।

(६) जहा उप-धारा (१) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करने का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रुप में होता है तो समुचित अधिकारी धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कारवाई आरंभ करेगा।

अध्याय चौदह

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

निरीक्षण,तलाशी और अभिग्रहण कि शक्ति।

६७. (१) जहाँ संयुक्त आयुक्त की अनिम्न पंक्ति से समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) जहाँ किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध मे किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के किसी उल्लंघन मे लिप्त रहा है ; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नही किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति मे रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन होने की संभावना है।

तो वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(२) जहा संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न समुचित अधिकारी के पास या तो उप-धारा (१) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अधिहरण के लिए दायी कोई माल या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हे किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह केंद्रीय कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु, जहा ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय मालों को नही हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्यौहार नहीं करेगा :

परंतु आगे यह कि, इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक है।

(३) उप-धारा (२) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियां या चीजें जिन पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए उवलंब नहीं लिया गया है, की ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने के दिनांक से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

(४) उप-धारा (२) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोडने की या किसी **अलमारी,** इलेक्ट्रॉनिक साधन संदूक पात्र, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिकी साधन, संदूक या पात्र तक पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हे तोडकर खोल सकेगा।

(५) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उप-धारा (२) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी की राय में जाँच को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करेगा लेने का हकदार होगा।

(६) उप-धारा (२) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल अंतिम आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमशः ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए या, यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(७) जहाँ उप-धारा (२) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह महीने की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु, पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह महीने की अवधि का समुचित अधिकारी द्वारा छह महीने से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा।

(८) सरकार, मालों के नष्ट होने या परिसंकटमय प्रकृति समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण, मालों के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को जिसका समुचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उप-धारा (२) के अधीन अभिग्रहण के यथासंभव शीघ्र पश्चात् निपटान किया जाएगा, घोषित कर सकेगी।

(९) जहाँ कोई माल, जो उप-धारा (८) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका समुचित अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी उप-धारा (२) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा।

(१०) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा १६५ की उप-धारा (५) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहाँ कहीं वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द रखा गया था। सन् १९७४ का २।

(११) जहाँ समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हें कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, प्रतिधारित करेगा।

(१२) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के कारबार परिसर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनो के क्रय को ऐसे व्यक्ति द्वारा कर बीजकों के जारी करने या आपूर्ति बिलों की जांच करने के लिए क्रय करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी कोई व्यक्ति मालों के लिए इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी किए गए आपूर्ति के लिए कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा।

संचालन में मालों का निरीक्षण।

६८. (१) सरकार, ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा वहन करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परेषण के वहन को ले जाए जाने वाले वहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, अपेक्षा कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(३) जहां उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी प्रवहन को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त प्रवहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उप-धारा के अधीन विहित दस्तावेजों और उक्त युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा मालों के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा।

गिरफ्तार करने की शक्ति।

६९. (१) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा १३२ की उप-धारा (१) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो उक्त धारा की उप-धारा (१) के खंड (एक) या खंड (दो) या उप-धारा (२) के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्वारा राज्य कर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(२) जहाँ किसी व्यक्ति को धारा १३२ की उप-धारा (५) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उप-धारा (१) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से सूचित करेगा और उसे चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

सन् १९७४ का २।

(३) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के उपबंधो के अधीन रहते हुए,—

(क) जहां किसी व्यक्ति को उप-धारा (१) के अधीन धारा १३२ की उप-धारा (४) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा ;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध के मामले में उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए वहीं शक्तियां होंगी और उन्हीं उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं।

व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति।

७०. (१) इस अधिनियम के अधीन समुचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।

सन् १९०८ का ५।

सन् १८६० का ४५।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियाँ " समझा जाएगा।

कारबार परिसरों तक पहुंच।

७१. (१) संयुक्त आयुक्त से अन्य समुचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक लेखाबहियां, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर साफ्टवेयर चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा और ऐसी अन्य चीजों तक और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हो, पर किसी लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच, जो राजस्व के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक हो, पहुंच होगी।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति, मांग किए जाने पर उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या समुचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखापरीक्षा दल या धारा ६६ के अधीन नामनिर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को निम्नलिखित—

(एक) ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और समुचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए घोषित किया गया है ;

(दो) शेष परीक्षण पत्र या उसका समतुल्य ;

(तीन) सम्यक्तः लेखा परीक्षित वित्तीय लेखाओं की वार्षिक विवरणी, जहां अपेक्षित हो ;

(चार) कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १४८ के अधीन लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; सन् २०१३ का १८।

(पाँच) आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा ४४ क ख के अधीन आय-कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और सन् १९६१ का ४३।

(छह) कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से, जिसको ऐसी मांग की गई थी, से पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि, जो उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा अनुज्ञात की जाए, उपलब्ध कराएगा।

समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए अधिकारी।

७२. (१) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी और केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी हैं, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समुचित अधिकारियों की सहायता करेंगे।

(२) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित अधिकारियों की सहायता करने के लिए जब ऐसा करने के लिए आयुक्त द्वारा कहा जाए, अधिकारियों के किसी वर्ग को सशक्त कर सकेगी और उनसे अपेक्षा कर सकेगी।

अध्याय पंद्रह

मांग और वसूली

असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से अन्य किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबुझकर मिथ्या कथन या छिपाना।

७३. (१) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है की किसी कर का संदाय नही किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से अन्य किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(२) समुचित अधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उप-धारा (१०) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन महीने पूर्व जारी करेगा।

(३) जहाँ उप-धारा (१) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उप-धारा (१) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(४) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उप-धारा (१) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए आधार वही है, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा।

(५) कर से प्रभार्य व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन सूचना की तामील या, यथास्थिति, उप-धारा (३) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा ५० के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के ऐसे कर के निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(६) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, उप-धारा (१) के अधीन सूचना या, यथास्थिति, उप-धारा (३) के अधीन विवरण की इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए तामील नहीं करेगा।

(७) जहाँ समुचित अधिकारी का यह मत है कि उप-धारा (५) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रुप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध मे, जो वास्तविक रुप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उप-धारा (१) मे यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(८) जहाँ उप-धारा (१) या उप-धारा (३) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नही होगी और उक्त सूचना के संबंध मे सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(९) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और शास्ति की कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रुपए, जो भी हो, को ऐसे व्यक्ति से शोध्य अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

(१०) समुचित अधिकारी, उप-धारा (९) के अधीन आदेश को वित्त वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की दिनांक, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से त्रुटीवश प्रतिदाय की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(११) उप-धारा (६) या उप-धारा (८) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (९) के अधीन शास्ति वहा संदेय होगी जहाँ स्वतः निर्धारित कर या कर के रुप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की दिनांक से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाना।

७४. (१) जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नही किया गया है या कम संदाय किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नही किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट से उसका उपयोग किया गया है या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन किया गया है या तथ्यों को छिपाया गया है के लिए प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शन करने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(२) समुचित अधिकारी उप-धारा (१) के अधीन सूचना आदेश जारी करने के लिए उप-धारा (१०) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छह महीने पूर्व जारी करेगा।

(३) जहाँ उप-धारा (१) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो समुचित अधिकारी संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उप-धारा (१) के अधीन आनेवाली कालावधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(४) उप-धारा (३) के अधीन विवरण की तामील को धारा ७३ की उप-धारा (१) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन समझ जाएगा कि उक्त विवरण में अवलंब लिए गए आधार सिवाय कपट के आधार के उप-धारा (१) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न कर अपवंचन के लिए किसी जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के लिए अवलंब लिए गए आधार वही है, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(५) कर से प्रभार्य व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का संदाय करेगा और कर के स्वयं निर्धारण या समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित कर के आधार पर ऐसे कर की रकम के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(६) समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उप-धारा (१) के अधीन इस प्रकार किसी संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अधीन संदेय किसी शास्ति के संबंध में सूचना की तामील नहीं करेगा।

(७) जहा समुचित अधिकारी का यह मत है की उप-धारा (५) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रुप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रुप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उप-धारा (१) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

(८) जहाँ उप-धारा (१) के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा ५० के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

(९) समुचित अधिकारी, कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा।

(१०) समुचित अधिकारी, उप-धारा (९) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक, दिनांक से पाच वर्ष के भीतर जिसके लिए कर संदत्त नही किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया है या गलत उपयोग किया गया है, से त्रुटिवश प्रतिदाय दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(११) जहाँ कोई व्यक्ति, जिस पर उप-धारा (९) के अधीन आदेश की तामील की गई है धारा ५० के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण १.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ,—

(एक) "उक्त सूचना के संबंध मे सभी कार्यवाहियां " में धारा १३२ के अधीन कार्यवाहियाँ सम्मिलित नहीं होंगी ;

(दो) जहाँ उन्ही कार्यवाहीयों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा १२२, धारा १२५, धारा १२९ और धारा १३० के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहीयों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण २.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "दमन" पद का तात्पर्य, ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिससे कराध्येय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता से अभिप्रेत होगा ।

कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध।

७५. (१) जहाँ किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, धारा ७३ की उप-धारा (२) और उप-धारा (१०) या यथास्थिति, धारा ७४ की उप-धारा (२) और उप-धारा (१०) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से विवर्जित किया जाएगा ।

(२) जहाँ कोई अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है की धारा ७४ की उप-धारा (१) के अधीन इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरूद्ध साबित नही होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा ७३ की उप-धारा (१) के अधीन सूचना जारी की गई थी ।

(३) जहाँ अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा ।

(४) सुने जाने के अवसर को वहां अनुदत्त किया जाएगा जहाँ कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहाँ ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध प्रतिकूल विनिश्चय की प्रत्याशा है ।

(५) समुचित अधिकारी, यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारणों को उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय अनुदत्त करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परंतु, ऐसी किन्ही स्थगन कार्यवाहियों के दौरान, किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

(६) समुचित अधिकारी, अपने आदेश में अपने विनिश्चय के लिए सुसंगत तथ्यों का अधिकथन करेगा।

(७) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी।

(८) जहाँ अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को उपांतरित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार उपांतरित कर की रकम को गणना में लेते हुए तद्नुसार उपांतरित हो जाएगी।

(९) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं।

(१०) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा ७३ की उप-धारा (१०) में यथा उपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा ७४ की उप-धारा (१०) में यथा उपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।

(११) कोई विवाद्यक, जिस पर अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण के विनिश्चय के दिनांक के बीच की कालावधि या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय के दिनांक और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के दिनांक को धारा ७३ की उप-धारा (१०) या धारा ७४ की उप-धारा (१०) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां विवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन हेतुक उपदर्शित जारी करने के माध्यम से संस्थित की गई हैं।

(१२) धारा ७३ या धारा ७४ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ धारा ३९ के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वतः निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णतः या भागतः असंदत्त रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम असंदत्त रहती है तो उसकी धारा ७९ के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी।

(१३) जहाँ धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसे कृत्य या लोप पर किसी शास्ति को उसी व्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

संग्रहित किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर।

७६. (१) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रुप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह प्रदाय, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा।

(२) जहां उप-धारा (१) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो समुचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(३) समुचित अधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उप-धारा (२) के अधीन सूचना की तामील की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का अवधारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।

(४) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति उप-धारा (१) या उप-धारा (३) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा ५० के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संग्रहित रकम के दिनांक से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने के दिनांक के लिए ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा।

(५) सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा, जहाँ ऐसे व्यक्ति से, जिसको हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

(६) समुचित अधिकारी, सूचना जारी करने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा।

(७) जहाँ आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में विवर्जित किया जाएगा।

(८) समुचित अधिकारी, अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा।

(९) उप-धारा (१) या उप-धारा (३) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा।

(१०) जहाँ उप-धारा (९) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है तो, ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है।

(११) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा ५४ के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

गलती से संग्रहित किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर।

७७. (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंत:राज्य आपूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंत:राज्य आपूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा।

(२) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंत:राज्य आपूर्ति समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंत:राज्य आपूर्ति अभिनिर्धारित किया गया है, से, यथास्थिति, संदेय केंद्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर पर केंद्रीय कर और राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी।

वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना।

७८. इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील के दिनांक से तीन महीनें की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएगी :

परंतु, जहां समुचित अधिकारी, राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए, उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन महीने से कम विनिर्दिष्ट की जा सकने वाली कालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

कर की वसूली।

७९. (१) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी, निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात् :—

(क) समुचित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है ;

(ख) समुचित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को देय संदेय किसी रकम से इस प्रकार संदेय रकम की कटौती करेगा या ऐसे व्यक्ति के संबंध रखने वाली वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वसूली करेगा ;

(ग) (एक) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन देय है या ऐसे व्यक्ति को देय हो जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप से धन धारण करता है, सरकार को तुरंत धन देय होने पर या उसके द्वारा धारण किए जाने पर सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के देय या धारण किए जाने से पूर्व की नहीं होगी, उतने धन को, जो ऐसे व्यक्ति से देय रकम को संदाय करने के लिए या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उप-खंड (एक) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ;

(तीन) किसी व्यक्ति को, जिस उप-खंड (एक) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस नियम या तद्धीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे ;

(चार) उप-खंड (एक) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी, किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;

(पाँच) उप-खंड (एक) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में कोई संदाय करने वाले किसी व्यक्ति को, व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय करने वाला समझा जाएगा और ऐसे संदाय का सरकार में प्रत्यय किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा ;

(छह) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उप-खंड (एक) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात्, निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के विस्तार तक या कर, ब्याज और शास्ति, इनमें से जो भी कम हो, व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व के विस्तार तक सरकार के प्रति दायी होगा ;

(सात) जहां कोई व्यक्ति जिस पर उप-खंड (एक) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से देय नहीं था या न ही वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लेखे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण कर रहा था, और नही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से देय होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लेखे धारण किए जाने की संभावना है, इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात की उस व्यक्ति से जिस पर सूचना की ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा होगी ;

(घ) समुचित अधिकारी, इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नही कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करना कारित कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के अर्थागम संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत विक्रय की लागत से असंदत्त लागत है और आधिक्य लागत को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा ;

(ङ) समुचित अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा मानों कि वह भू-राजस्व का बकाया था ;

सन् १९७४ का २।

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समुचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानों यह उसके द्वारा अधिरोपित था ;

(२) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन देय किसी रकम को उप-धारा (१) में

अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी।

(३) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है तो राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानों वह राज्य कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में प्रत्यय करेगा।

(४) जहां उप-धारा (३) के अधीन वसूल की गई रकम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को देय रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का प्रत्यय प्रत्येक ऐसी सरकार को देय रकम के अनुपात में किया जाएगा।

कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय।

८०. किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर, आयुक्त, कारणों को लेखबद्ध करते हुए संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वत: निर्धारित दायित्व के अनुसार शोध्य रकम से भिन्न किसी रकम के संदाय को धारा ५० के अधीन ब्याज के संदाय के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु, जहां किसी सम्यक् दिनांक को किसी एक किस्त के संदाय में कोई व्यतिक्रम होता है तो ऐसी दिनांक को संदेय सभी बकाया शोध्य हो जाएगा और तुरंत संदेय होगा तथा बिना किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा।

कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना।

८१. जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात्, उससे संबंधित या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय, बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा :

परंतु यह कि, ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने पर बिना किसी सूचना के या ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय अन्य राशि या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है।

कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना।

८२. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा। सन् २०१६ का ३१।

कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की।

८३. (१) जहां धारा ६२ या धारा ६३ या धारा ६४ या धारा ६७ या धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।

(२) ऐसी अनंतिम कुर्की का, उप-धारा (१) के अधीन किए गए आदेश के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा।

कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण।

८४. जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी देयता" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी देयता के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब—

(क) जहां ऐसे सरकारी देयता को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी

देयता को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी देयता के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी ;

(ख) जहां सरकारी देयता को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,–

(एक) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा ;

(दो) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा ;

(तीन) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी।

अध्याय सोलह

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व।

८५. (१) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्तः पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक देय कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा।

(२) जहां उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की दिनांक से उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है और विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करता है, दायी होगा।

अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व।

८६. जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की आपूर्ति करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे।

कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व।

८७. (१) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के आदेश के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और आदेश का आदेश किए जाने के दिनांक से पूर्व प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस दिनांक से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की दिनांक के बीच मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को प्राप्त किया है तब ऐसा प्रदाय और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के आपूर्ति या प्राप्ति कारबार में सम्मिलित किया जाएगा और वह तद्नुसार कर का संदाय करने की दायी होगी।

(२) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश के दिनांक तक की अवधि के लिए सुभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश के दिनांक से रद्द किया जाएगा।

परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व।

८८. (१) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा।

(२) आयुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस दिनांक से तीन महीने के भीतर, जिसको वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा संदेय है या संदेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा।

(३) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए, चाहे परिसमापन के प्रक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व।

८९. (१) कंपनी अधिनियम, २०१३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, देय है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर देय है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्तः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा। सन् २०१३ का १८।

(२) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी का ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक था :

परंतु, इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी।

फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व।

९०. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी संविदा के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा :

परंतु, जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की दिनांक को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति के दिनांक को देय कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने का चाहे उस दिनांक को अवधारित की जाए या नहीं, दायी होगा :

परन्तु यह और कि, यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृत्ति के दिनांक से एक महीने के भीतर नहीं दी जाती है तो पहिले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस दिनांक तक बना रहेगा जिसको ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है।

अभिरक्षकों, न्यासियों आदि का दायित्व।

९१. जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अव्ययस्यक या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे अव्ययस्यक या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिरक्षक पर कर, ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे अव्ययस्यक या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह वयस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध, तद्नुसार लागू होंगे।

प्रतिपाल्य अधिकरण आदि का दायित्व।

९२. जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग के अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्ति कराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है, कर, ब्याज या शास्ति उस पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका कराधेय के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध, तद्नुसार लागू होंगे।

कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध।

सन् २०१६ का ३१।

९३. (१) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब–

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यू के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यू से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त या अवधारित किया गया है।

सन् २०१६ का ३१।

(२) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रहा गया है या अवधारित किया गया है।

सन् २०१६ का ३१।

(३) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ में उपबंधित के सिवाय, जहाँ कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम, के अधीन फर्म से देयता, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

सन् २०१६ का ३१।

(४) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, २०१६ में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज का शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,—

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है ; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है किंतु जो असंदत्त रह गया है या तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।

अन्य मामलों में दायित्व।

९४. (१) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम हा हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,—

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने के दिनांक तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो कारबार को जारी न रखना हुआ ही न हो ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के संदाय के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का अवधारण या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों को ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था।

(२) जहां फर्म या व्यक्तियों के संगम के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या संगम के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा ९० के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व देय कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होंगे।

(३) उप-धारा (१) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का संगम है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तद्नुसार, उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के प्रति अर्थ लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) "सीमित दायित्व भागीदार" जिसे सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, २००८ के उपबंधो के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा ; सन् २००९ का ६।

(दो) "न्यायालय" का तात्पर्य जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है।

अध्याय सत्रह

अग्रिम विनिर्णय

परिभाषाएं।

९५. (१) इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अग्रिम विनिर्णय" का तात्पर्य, किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदक को धारा ९७ की उप-धारा (२) या धारा १०० की उप-धारा (१) में मालों या सेवाओं का दोनों की आपूर्ति, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिये गये अग्रिम विनिश्चय से अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील प्राधिकरण" का तात्पर्य, धारा ९९ के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण से अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से अभिप्रेत है ;

(घ) "आवेदन" का तात्पर्य, धारा ९७ की उप-धारा (१) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन से अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्राधिकरण" का तात्पर्य, धारा ९६ के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण से अभिप्रेत है ;

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन।

९६. (१) सरकार, अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने कि लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(२) प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(एक) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(दो) राज्य कर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमशः, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(३) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन।

९७. (१) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने की इच्छा रखने वाला आवेदक, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों का कथन करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, एक आवेदन करेगा।

(२) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,—

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के समय और मूल्य का अवधारण ;

(घ) संदत्त या समझे गए इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता ;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के कर दायित्व का अवधारण ;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है ;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात का परिणाम उस पद के अर्थान्तर्गत मालों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बराबर या उनकी आपूर्ति के रुप में होता है।

आवेदन की प्राप्ति पर की प्रक्रिया।

९८. (१) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परंतु, किसी मामले में जहां प्राधिकारी द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो, ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा।

(२) प्राधिकारी, आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परंतु, प्राधिकारी वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

परंतु यह और कि, इस उप-धारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(३) उप-धारा (२) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी।

(४) जहां किसी आवेदन को उप-धारा (२) के अधीन ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्वीकार किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उद्घोषणा की जाएगी।

(५) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतैक्य रखते है, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की ईप्सा की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर वह मतैक्य रखते है और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे।

(६) प्राधिकरण, आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा।

(७) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित, जो विहित की जाए, प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन।

९९. (१) सरकार, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण जिसमें.—

(एक) मंडल द्वारा यथा पदाभिहीत मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, और

(दो) आयुक्त, राज्य कर ; सम्मिलित हैं, द्वारा उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र माल और सेवाकर संबंधी अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को किसी राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(२) अपील प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(एक) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त ; और

(दो) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला राज्य कर आयुक्त।

अपील प्राधिकरण को अपील।

१००. (१) धारा ९८ की उप-धारा (४) के अधीन उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा।

(२) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस दिनांक से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील से संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दी जाती है, से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :

परंतु, अपील प्राधिकारी का यदि यह समाधान हो जाता है कि, आवेदक को नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी तथा उसका ऐसी रीति में सत्यापन किया जाएगा, जो विहित की जाए।

अपील प्राधिकरण के आदेश।

१०१. (१) अपील प्राधिकरण, अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए उचित समझे।

(२) उप-धारा (२) में निर्दिष्ट आदेश धारा १०० के अधीन अपील पारित करने या धारा ९८ की उप-धारा (५) के अधीन निर्देश करने के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।

(३) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य उसे निर्दिष्ट किसी अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या उन बिन्दुओं पर मतैक्य रखते है और यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया गया है।

(४) आवेदक, संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को उद्घोषणा के पश्चात् सदस्यों द्वारा सम्यक्तया हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित जो विहित की जाए, अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसी उद्घोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति भेजी जाएगी।

अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि।

१०२. प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण, धारा ९८ या धारा १०१ के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश संशोधन कर सकेगी ताकि अभिलेख पटल पर स्पष्ट गलतियों को ठीक किया जा सके, यदि ऐसी गलती प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा आदेश के दिनांक से छह महीने के भीतर लाई जाती है :

परंतु, ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

अग्रिम विनिर्णय का लागू होना।

१०३. (१) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय, केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा ९७ की उप-धारा (२) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी चाहत की थी ;

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखनेवाले अधिकारी पर ।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय बाध्यकर होगा सिवाय तब जब मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों ।

कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना।

१०४. (१) जहां अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा ९८ की उप-धारा (४) के अधीन या धारा १०१ की उप-धारा (१) के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी को ऐसे लागू होंगे मानों अग्रिम विनिर्णय कभी किया ही नहीं था :

परन्तु यह कि, इस उप-धारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि आवेदक को सुने जाने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हो ।

स्पष्टीकरण.—धारा ७३ की उप-धारा (२) और उप-धारा (१०) या धारा ७४ की उप-धारा (२) और उप-धारा (१०) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उप-धारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय से प्रारंभ होने वाली और आदेश के दिनांक को समाप्त होनेवाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखनेवाले अधिकारी को भेजी जाएगी ।

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां।

सन् १९०८ का ५।

१०५. (१) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को, निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,—

(क) खोज और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों ओर अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ।

सन् १९७४ का २। सन् १८६० का ४५।

(२) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा १९५ के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ के अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिए नहीं और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थांतर्गत और भारतीय दंड संहिता की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रियां।

१०६. प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को, इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

अध्याय अठारह

अपील और पुनरीक्षण

अपील प्राधिकरण को अपीलें।

१०७. (१) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे अपील प्राधिकरण अपील कर सकेगा जो उस

दिनांक से जिसको ऐसे व्यक्ति को उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किया जाता है, तीन महीने के भीतर विहित किया जाए ।

(२) आयुक्त, उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए **स्वप्रेरणा** से या राज्य कर आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त के निवेदन पर, किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा और परीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्‌भूत होते हैं, उक्त विनिश्चय या आदेश की संसूचना के दिनांक से छह महीने के भीतर अपील प्राधिकरण को किसी अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन करने के लिए निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(३) जहां उप-धारा (२) अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकरण को आवेदन करता है, वहां ऐसा आवेदन अपील प्राधिकरण द्वारा ऐसे व्यवहार किया जाएगा मानों यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे ।

(४) अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, तीन महीने या, यथास्थिति, छह महीने की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा ।

(५) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यपित की जाएगी जैसा कि विहित किया जाए ।

(६) उप-धारा (१) के अधीन कोई अपील, फाइल नहीं कि जाएगी यदि अपीलकर्ता ने—

(क) अक्षेपित आदेश से उद्‌भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारा जाए ; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्‌भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो ।

(७) जहां उप-धारा (६) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएगी ।

(८) अपील प्राधिकरण, अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(९) अपील प्राधिकरण, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि, ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक समय नहीं दिया जाएगा ।

(१०) अपील प्राधिकरण, अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(११) अपील प्राधिकरण, ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करनेवाला विनिश्चय का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुन:निर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :

परन्तु, अधिहरण या वर्जित मूल्य के माल का अधिकरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा प्रतिदाय की रकम या इनपुट कर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि, अपील प्राधिकरण की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या आगत कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया हैं और धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया जाता है।

(१२) अपील निपटारा करने वाला अपील प्राधिकरण का आदेश, लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उन पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों का कथन करेगा।

(१३) अपील प्राधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की दिनांक से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु, जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना करने में अपवर्जित की जाएगी।

(१४) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकरण उसके द्वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(१५) अपील प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति अधिकारिता आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और राज्य कर अधिकारिता आयुक्त अथवा संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी।

(१६) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, धारा १०८ या धारा ११३ या धारा ११७ अथवा धारा ११८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा।

पुनरीक्षण प्राधिकारी शक्तियां।

१०८. (१) धारा १२१ और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी **स्वप्रेरणा** से या उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना पर या केंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और जांच कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया हे, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण-महालेखापरिक्षक द्वारा की गई के पारिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठिक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है।

(२) पुनरीक्षण प्राधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि—

(क) आदेश धारा १०७ या धारा ११२ या धारा ११७ या धारा ११८ के अधीन अपील के अध्यधीन है ; या

(ख) धारा १०७ की उप-धारा (२) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है ; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिया जा चुका है ; या

(घ) आदेश उप-धारा (१) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है :

परन्तु यह कि, पुनरीक्षण प्राधिकारी, उप-धारा (१) के अधीन किसी बिन्दु पर कोई आदेश पारित कर सकेगा जो उप-धारा (२) के खंड (क) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपील में ऐसी अपील में आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उप-धारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, उसके समक्ष नहीं उठाया गया है या विनिश्चित नहीं किया गया है ।

(३) उप-धारा (१) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश, धारा ११३ या धारा ११७ अथवा धारा ११८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकर होगा ।

(४) यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तर्वलित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय में किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय के दिनांक और उच्च न्यायालय के विनिश्चय के दिनांक या उच्च न्यायालय के विनिश्चय के दिनांक और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के दिनांक के बीच व्यतित अवधि उप-धारा (२) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(५) उप-धारा (१) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उप-धारा (२) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(६) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,—

(एक) " अभिलेख " में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे ;

(दो) " विनिश्चय " में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी ।

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें।

१०९. (१) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा ।

(२) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा १०९ या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि।

११०. राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा ११० के उपबंधों के अनुसार होगा ।

अपील अधिकरण के सामने की प्रक्रिया।

१११. (१) अपील अधिकरण, अपने सामने किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बद्ध होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन द्वारा निर्देशित होगा और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी । सन् १९०८ का ५।

(२) अपील अधिकरण की, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थित रहने के लिए बाध्य करना तथा उसे शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

सन् १८७२ का १। (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ की धारा १२३ और धारा १२४ के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ;

(च) चूक या एकपक्षीय विनिश्चय के किसी प्रतिवेदन पर किसी प्रतिवेदन को खारिज करना ;

(छ) किसी प्रतिवेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना ; और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

(३) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में भेजे :—

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है ; या ;

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिए व्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

सन् १८६० का ४५। सन् १९७४ का २। (४) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां, भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी और अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २५ के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

अपील अधिकरण को अपील।

११२. (१) इस अधिनियम की धारा १०७ या धारा १०८ के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की दिनांक से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन महीने के भीतर अपील कर सकेगा।

(२) अपील अधिकरण, ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां कर या इनपुट कर प्रत्यय अंतर्वलित हो या इनपुट कर में अंतर अंतर्वलित हो या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या शास्ति ५० हजार रुपये से अधिक न हो अवधारित होती है।

(३) आयुक्त, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को स्वतः या आयुक्त, राज्य कर या आयुक्त, संघ राज्यक्षेत्र की प्रार्थना पर परीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को निदेश देकर उस दिनांक को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है, से छह महीने में अपील अधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(४) जहां उप-धारा (३) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा १०७ की उप-धारा (११) के अधीन या धारा १०८ की उप-धारा (१) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (१) के अधीन फाइल अपील के संबंध में लागू होते हैं।

(५) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील हुई है, किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटीस की प्राप्ति के पैंतालिस दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन, आदेश जिसके किसी

भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो।

(६) अपील अधिकरण, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्, तीन महिने में एक अपील स्वीकार कर सकेगा या उप-धारा (५) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् ४५ दिन में प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(७) अपील अधिकरण को अपील, ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित होगी जैसा कि विहित की जाए।

(८) कोई अपील, उप-धारा (१) के अधीन तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,—

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो ; और

(ख) धारा १०७ की उप-धारा (६) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के २० प्रतिशत के बराबर राशि।

(९) जहां अपीलार्थी उप-धारा (८) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निपटान तक रोकी हुई समझी जाएंगी।

(१०) अपील अधिकरण के सामने–

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील ;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

प्रत्येक आवेदन ऐसी ऐसे शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए।

अपील अधिकरण के आदेश।

११३. (१) अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या बातीलकरण जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या मूल न्यायनिर्णय प्राधिकरण को ऐसे निदेशों को जिनको वह ठीक समझे सहित वापस नये न्यायानिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों, विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा।

(२) अपील प्राधिकरण, यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्रास्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परंतु यह कि, इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा।

(३) यदि ऐसी कोई त्रुटि अपने-आप उसे संज्ञान में आ जाती है या आयुक्त या राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में आदेश के तीन दिनांक की अवधि में लाई जाती है तो अपील अधिकरण अभिलेख कर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उप-धारा (१) के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश को संशोधित कर सकेगा।

परंतु यह कि, ऐसा कोई संशोधन जो मूल्यांकन की वृद्धि या वापसी की कमी या इनपुट कर प्रत्यय या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए।

(४) अपील अधिकरण, जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने को दिनांक से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुनवाई करेगा और विनिश्चय करेगा।

(५) अपील अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या, यथास्थिति, मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त को, भेजेगा।

(६) जैसा कि धारा ११७ या धारा ११८ में उपबंधित है, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।

११४. राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु, राज्य अध्यक्ष के पास, अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायापीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्योयोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

अपील के दाखिल करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज।

११५. जहा अपीलार्थी द्वारा धारा ११२ की उप-धारा (८) या धारा १०७ की उप-धारा (६) के अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप, वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा ५६ के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय के दिनांक से ऐसे रकम की वापसी की दिनांक तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी।

११६. (१) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययधीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उप-धारा (१) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है—

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी ; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एकाउंटेंट या कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह "ख" राजपत्रित अधिकारी की रैंक की पंक्ति से अनिम्न के पद पर कम के कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो :

परंतु यह कि, ऐसा कोई अधिकारी जिसने अपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग का दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा ; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

(३) कोई व्यक्ति—

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो ; या

(ख) जो इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल के प्रदाय या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया हो ;

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित हो चुका हो, उप-धारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अर्ह नहीं होगा—

(एक) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए ; और

(दो) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे।

(४) ऐसा कोई व्यक्ति जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या किसी अन्य राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधो के अधीन निरर्ह है इस अधिनियम के अधीन भी निरर्ह समझा जाएगा।

उच्च न्यायालय को अपील।

११७. (१) राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायालय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।

(२) उप-धारा (१) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से १८० दिन की अवधि में अपील फाईल की जा सकेगी और यह ऐसे प्रारूप में और उस सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए :

परंतु यह कि, उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था ।

(३) जहां उच्च न्यायालय का समाधान को जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा प्रत्यर्थी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे :

परंतु, इस उप-धारा की किसी बात के बारे में यह नही समझा जाएगा कि वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है।

(४) उच्च न्यायालय, इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित हैं, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे।

(५) उच्च न्यायालय, किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो—

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो ; या

(ख) उप-धारा (३) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण, राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो।

(६) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हों तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी।

(७) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा।

(८) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा।

(९) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहां तक संभव हो लागू होंगे। सन् १९०८ का ५।

उच्चतम न्यायालय को अपील।

११८. (१) ऐसी अपील, जो उच्चतम न्यायालय में होगी—

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध ; या

(ख) किसी मामले में धारा ११७ के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वत: या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है।

सन १९०८ का ५।

(२) सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिक्री की अपील के मामले में होते हैं।

(३) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उल्टा गया हो वहां उच्च न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा ११७ में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है।

राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त किए जाने हैं।

११९. किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई हैं, धारा ११३ के उप-धारा (१) के अधीन अपील अधिकरण के सक्रीय या प्रातिय पीठों या धारा ११३ की उप-धारा (१) अधीन अपील अधिकरण के पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा ११७ के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा या, यथास्थिति, पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय की जाएगी।

कतिपय मामलों में अपील फाइल नहीं की जा सकेगी।

१२०. (१) आयुक्त, बोर्ड परिषद् की सिफारिशों पर समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजनों के लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा।

(२) जहाँ उप-धारा (१) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल कर सकेगा, यह केंद्रीय कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में अंतर्वलित समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरूद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा।

(३) किसी बात के होते हुए भी, यह तथ्य कि उप-धारा (१) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई, व्यक्ति अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिंदु पर विनिश्चय से वह अधिकारी केंद्रीय कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा।

(४) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उप-धारा (१) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में केंद्रीय कर के अधिकारी द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

अपील न किये जानेवाले विनिश्चय और आदेश।

१२१. इस अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :—

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो ; या

(ख) लेखा पुस्तकों, रजिस्टर आदि अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित कोई आदेश ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देनेवाला कोई आदेश ; या

(घ) धारा ८० के अधीन पारित कोई आदेश।

अध्याय उन्नीस

अपराध और शास्तियाँ

कतिपय अपराधों के लिए शास्ति।

१२२. (१) जहां कराधेय व्यक्ति जो–

(एक) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है ;

(दो) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के उल्लघंन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;

(तीन) कर के रुप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन महिने से परे दिनांक को जिसको ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है ;

(चार) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने मे तीन महिने से परे उस दिनांक को जिसको ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है;

(पाँच) धारा ५१ की उप-धारा (१) उपबंधों के अनुसार कर कटौती करने में असफल रहता है या उक्त उप-धारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम से कम रकम की कटौती करता है या उप-धारा (२) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रुप में संदाय करने में असफल रहता है;

(छह) धारा (५२) की उप-धारा (१) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उप-धारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या धारा ५१ की उप-धारा (३) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रुप में संदाय करने में असफल रहता है;

(सात) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णत: या आंशिक रुप से या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना या आंशिक रुप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है;

(आठ) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है;

(नौं) धारा २० या उसके बनाए गए नियमों के प्रतिकूल इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है या बांटता है;

(दस) इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से या वित्तीय अभिलेखाँ के बदलता हे या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेंजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है;

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है किंतु, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है;

(बारह) रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है;

(तेरह) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है;

(चौदह) इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्ताऐवजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन करता है;

(पंद्रह) इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने टर्नओवर को छिपाता है;

(सोलह) इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा की पुस्तकों और अन्य दस्तावेंजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असमर्थ रहता है;

(सत्रह) इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेंजों को प्रस्तुत करता है;

(अठारह) ऐसे किसी माल को आपूर्ति, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि ये इस अधिनियम के अधीन जब्ती के लिए दायी है;

(उन्नीस) अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है;

(बीस) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेडछाड करता है या नष्ट करता है;

(इक्कीस) किसी माल को खुर्दबुर्द या छेडछाड करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोके, जब्त या कुर्क किया हुआ था,

दस हजार रुपए या अपवंचित कर या धारा ५१ के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नही किए गए कर या धारा ५२ के अधीन संगृहीत नही किए गए कर या कम संगृहीत या संग्रहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रुप में वितरीत या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी जो भी उच्चतर हो, के समतुल्य रकम को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगी।

(२) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकरण व्यक्ति जो किसी माल का प्रदाय या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है जिन पर उसने कोई कर नही दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या किसी कारण से प्रयोग किया है,–

(क) कपट के कारण, भिन्न या किसी जानबूझकर गलत कथन करता या कर बचाने के लिए तथ्यों को छिपाता है, तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत, की शास्ति के लिए दायी होगा जो भी अधिक है।

(ख) कपट के उद्देश्य सेवा कर अपवंचन के तथ्यों का जानबूझ कर गलत कथन या छिपाता है तो वह दस हजार रुपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर का दस प्रतिशत की शास्ति का, दायी होगा जो भी अधिक है ।

(३) कोई व्यक्ति जो–

(क) उप-धारा (१) के खंड (एक) से खंड (इक्कीस) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन जब्ती के लिए दायी;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है यह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लघंन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिये कैफियत देने में असमर्थ रहता है;

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति।

१२३. यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा १५० के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उप-धारा (३) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि देने के असफल रहता है तो उचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन जिसके लिए वह ऐसी विवरणों को देने में असफल रहता है, के लिए सौ रुपए प्रतिदिन की शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु, यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पाँच हजार से अधिक नहीं होगी।

आंकडे देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना।

१२४. यदि किसी व्यक्ति से धारा १५१ के अधीन सूचना या विवरणों देना अपेक्षित है,–

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणों जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रखने की दशा मे और जुर्माने से जो प्रथम दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन जिसके दौरान अपराध जारी रहती है, बीस हजार की अधिकतम सीमा के अध्यधीन एक हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

साधारण शास्ति।

१२५. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित किन्ही नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रुप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

शास्ति से संबधित साधारण अनुशासन।

१२६. (१) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा बिना कपटपूर्ण आशय या समय लापरवाही के बिना किए गए है, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.—-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए–

(क) यदि किसी भंग जिसमें पाँच हजार रुपए से कम रकम अंतर्वलित हे तो वह छोट भंग माना जाएगा;

(ख) दस्ताऐवजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली मानी जा सकेगी जो अभिलेख पर एक प्रत्यक्ष त्रुटि है।

(२) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ पर निर्भर होगी तथा यह भंग की अवस्था और गंभीरता के अनुपात में होगी।

(३) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(४) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी, किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करेगा।

(५) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले या विधि, विनिमय या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियाँ इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता हे तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रुप में विचार करेगा।

(६) इस धारा के उपबंध, ऐसे मामलों में जहाँ शास्ति से अस अधिनियम के अधीन या तो नियतराशि या नियत प्रतिशत के रुप में विनिर्दिष्ट है।

कतिपय मामलों मे शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति।

१२७. जहाँ समुचित अधिकारी इस विचार का हेकि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा ६२ या धारा ६३ या धारा ६४ या धारा ७३ या धारा ७४ या धारा १२९ या धारा १३० के अधीन कार्यवाह में नहीं आती है वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति।

१२८. सरकार, अधिसूचना द्वारा कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा १२२ या धारा १२३ या धारा १२५ में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा ४७ में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क का भाग में या पूर्णतः और परिषद की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी।

अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन मे प्रवहण।

१२९. (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधो के उल्लघंन में है, सभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रुप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल से संबंधित दस्ताऐवज और अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण निर्मुक्त हो सकेगा–

(क) ऐसे माल पर लागू कर के और संदेय कर के १०० प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो कम हो, के संदाय पर जहाँ माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) लागू कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का ५० प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रुपए जो भी कम हो, के संदाय पर जहाँ माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ग) ऐसे प्ररुप और रीति जो विहित की जाए, में खंड(क) या खंड के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर;

परंतु यह कि, इस प्रकार का माल अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा में या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा।

(२) धारा ६७ की उप-धारा (३) के उपबंध, माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए **यथा आवश्यक परिवर्तन सहित** लागू होंगे।

(३) माल की अभिरक्षा या अभिग्रहण या प्रवहण करने वाला समुचित अधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा।

(४) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए ब्याज या शास्ति उप-धारा (३) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी।

(५) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उप-धारा (३) मे विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियाँ समाप्त समझी जाएगी।

(६) जहाँ किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी, उप-धारा (१) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन में असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियाँ धारा १३० की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएगी :

परंतु यह कि, जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में हास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि समुचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

माल की जब्ती या प्रवहण और शास्ति का उदग्रहण।

१३०. (१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति–

(एक) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का प्रदाय या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता हैं, या

(दो) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(तीन) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय; या

(चार) इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(पाँच) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल ढोने के लिए परिवहन के रुप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके एजेंट की बिना जानकारी या गठजोड के यह कार्य हुआ है ;

तब, ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा १२२ के अधीन शाक्ति के लिए दायी होगा।

(२) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को जब्त माल के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प करने का विकल्प दे सकेगा।

परंतु यह कि, ऐसा उद्ग्रहणीय जुर्माना जब्त माल के बाजार मूल्य से अधिक तथा उस पर प्रभावित कर से कम नहीं होगा;

परंतु यह और कि, ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति धारा १२९ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा;

परंतु यह भी कि, जहाँ माल को ढोने या भाडे पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त कोई ऐसा प्रवहण या मलिक को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा।

(३) जहां उप-धारा (२) के अधीन अधिरोपित माल या प्रवहण की जब्ती के स्थान पर उप-धारा (१) में निर्दिष्ट ऐसे माल का स्वामी या प्रवहण या व्यक्ति, इसके अतिरिक्त, किसी ऐसे माल का प्रवहण की बाबत शास्ति और देय प्रभारों के लिए दायी होगा ।

(४) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा ।

(५) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा ।

(६) जब्ती के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा ।

(७) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात् कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम की धारा के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और जब्ती के स्थान पर जुर्माने देने के लिए तीन महीने से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रव का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय उत्पाद सरकार को जमा करेगा ।

जब्ति या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेकरण नहीं करेगा ।

१३१. दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई जब्ती या अधिरोपित शास्ति, किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित को इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड से प्रवारित करेगा । सन् १९७४ का २।

कतिपय अपराधों के लिए दंड ।

१३२. (१) जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अपवंचन के आशय से करता है ;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में गलत प्राप्ति या निक्षेप कर प्रत्यय के प्रयोग या कर वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों का प्रदाय बिना बीजक या बिल के जारी करना ;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे बीजक या बिल में प्रयोग का इनपुट कर प्रत्यय को प्राप्त करता है ;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संग्रहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन महिने की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है ;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता है ;

(च) उस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है ;

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों को जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबंद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, छिपाता है, प्रदाय करता है या विक्रय करता है या किसी अन्य रीति में निपटाता है ;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके प्रदाय से संबंद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा प्रदाय में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है ;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेडछाड करता है या नष्ट करता है ;

(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदाय के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके द्वारा प्रदाय की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है ;

दंडनीय होगा—

(एक) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रुपए से अधिक ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से ;

(दो) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रुप से ली गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की चुकी या वापस प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रुपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना से ;

(तीन) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से गई निवेश के प्रत्यय की रकम या प्रयोग की जा चुकी वापस प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रुपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रुपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से ;

(चार) खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता हैं तो वह ऐसे कारावास से जो छह माह तक सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुन; इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से,

(३) उप-धारा (१) के खंड (एक) (दो) और (तीन) और उप-धारा (२) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह महिने से कम अवधि का नहीं होगा।

(४) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उप-धारा (५) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय और जमानतीय होगा। १९७४ का २।

(५) उप-धारा (३) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उप-धारा के खंड (एक) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा ।

(६) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कर" में अपवंचित कर की रकम या गलत रुप से रखी गई कर प्रत्यय की रकम या प्रयुक्त की गई रकम या उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रुप से ली गई रकम केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवाकर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम के अधीन उदग्रहीत उपकर सम्मिलित है।

अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व।

१३३. (१) जहां कोई व्यक्ति जो धारा १५१ के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा १५० की उप-धारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता जानबूझकर इस अधिनियम अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणों के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह ऐसे कारावास से जो छह महीने तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपए या दोनों से दंडनीय होगा ।

(२) कोई व्यक्ति,—

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ;

(ख) जो सरकार सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ।

अपराध का संज्ञान।

१३४. न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध या संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय से अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अपराधिक मानसिक दशा का अनुमान।

१३५. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसित दशा की विद्यमानता के अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिदध करने के लिए यह वचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रुप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) "आपराधिक मानसिक दशा" पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य है ;

(दो) एक सिद्ध किया हुआ केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेय के विश्वास करता है और केवल जब इसकी विद्यमानता प्राथमिकता की संभाव्यता द्वारा स्थापित है ।

कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनों की सुसंगता।

१३६. इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा ५० के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, तथ्य की सत्यता जिसमें होगा,—

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था मर गया है या नहीं मिल या रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम या विरोधी पक्ष द्वारा तरीके से भिन्न या जिसको देरी के बिना उपस्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानेगा; या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रुप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि मामले की परिस्थितियों की ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायाहित में साक्ष्य के रुप में स्वीकार किया जाएगा ।

कंपनियों द्वारा अपराध।

१३७. (१) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, एसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार, अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

(२) उप-धारा (१) में किसी बाते के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार, अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

(३) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्याय के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार, अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किए जाने के अधीन दायी होगें। ऐसे व्यक्तियों की उप-धारा (२) के उपबंध **आवश्यक परिवर्तन सहित** लागू होगें।

(४) इस धारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसे ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियाँ का अन्य संगम है ; और

(दो) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का प्रशमन।

१३८. (१) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन को संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा :

परंतु, इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) कोई व्यक्ति जो धारा १३२ की उप-धारा (१) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खंड (१) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उप-धारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपए से अत्यधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था ;

(ग) कोई कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है ;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध को चुका है ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा १३२ की उप-धारा (१) के खंड (छह) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है ; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि, इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालता :

परंतु यह और भी कि, ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा।

(२) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम अंतर्वलित कर के दस हजार रुपए या पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी न्यूनतम हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए से अधिक या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिकतम हों, विहित की जा सकेगी।

(३) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर समान अपराध और किसी अन्य दांडिक कार्यवाहियों के संबंध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन संस्थित नहीं होंगी, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जाएगी।

अध्याय बीस

संक्रमणकालीन उपबंध

विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन।

१३९. (१) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता क्रमांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उप-धारा (२) के अधीन अंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता, रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है।

(२) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररुप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा।

(३) उप-धारा (१) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त है कि वह धारा २२ या धारा २४ के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था।

निवेश प्रतिदेय कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं।

१४०. (१) धारा १० के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में, उक्त दिवस के पश्चात्, नब्बे दिन से अपश्चात् विहित की जानेवाली रीति में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर की रकम, यदि कोई हो, के प्रत्यय को अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में अग्रनीत करने का हकदार होगा :

परंतु, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निम्नलिखित परिस्थितियों में जमा करने को अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात् :—

(एक) जहाँ जमा की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन निवेश प्रतिदेय कर के रुप में अनुज्ञेय नहीं है ; या

(दो) जहाँ वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

(तीन) जहाँ प्रत्यय की उक्त रकम, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ के नियम ७९ के अधीन, मुजराई के दावे के लिये अधिकारिता न रखनेवाले इकाईयो से संबंधित है :

सन् १९५६ का ७४।

परंतु यह और कि, उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ धारा ३, धारा ५ की उप-धारा (३), धारा ६, धारा ६क या धारा ८ की उप-धारा (८) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, १९५७ के नियम १२ में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी :

परंतु यह भी कि, दुसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम, १९५७ के नियम १२ में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है।

(२) धारा १० के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का, जो विवरणी में अग्रनीत नहीं की है, उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन ऐसी विहित रीति में नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन लेने को समाप्ति अवधि के लिए हकदार होगा :

परंतु, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रुप में अनुज्ञेय उक्त जमा को जब तक जमा करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा और जब तक कि इस अधिनियम के अधीन निवेश प्रतिदेय कर के रुप में भी अनुज्ञेय है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय" पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि निवेश प्रतिदेय कर की रकम के घटाने के पश्चात् शेष रहती है जिसका उक्त व्यक्ति ने इनपुट कर प्रत्यय की औसत रकम से विद्यमान विधि के अधीन कराधेय व्यक्ति द्वारा पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की रकम प्राप्त कर ली है जो विद्यमान विधि के अधीन उक्त पूंजी माल के संबंध में हकदार था ;

(३) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या कर मुक्त मालों या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और जिनके पश्चातवर्ती विक्रय राज्य में कर के अध्यधीन नहीं है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हे (या जहाँ व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलैक्ट्रानिक जमा खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात् :—

(एक) इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए ऐसे निवेश या मालों के उपयोग या कराधेय प्रदाय करने के लिए उपयोग के आशयित है ;

(दो) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय करके लिए पात्र होगा ;

(तीन) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक या ऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरुप है, रखता है ;

(चार) नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह महीनों से पूर्वतर जारी किए गए ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे :

परंतु जहाँ किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी जमा के लाभ हस्तांतरित करने को प्राप्तकर्ता को मूल्य की कमी के द्वारा ऐसे जमा को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी दर पर जमा करने का अनुज्ञात होगा।

(४) जहाँ कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं, के विनिर्माण में लगा है, अपने इलैक्ट्रानिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा,—

(क) उप-धारा (१) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम ; और

(ख) उप-धारा (३) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के संबंध में नियत दिन को स्टाक में रखे गए इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों) के संबंध में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम।

(५) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के संबंध में अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में मूल्यवर्धित कर औऱ प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदात्ता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था :

परंतु, तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर तीस दिन की और अधिक अवधि आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी :

परंतु यह और कि, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उप-धारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरणी देगा।

(६) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य कर के बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक औऱ निवेश के संबंध में पात्र शुल्क की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक जमा खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात् :—

(एक) इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेश या मालों जो प्रयोग किए गए है या कराधेय प्रदाय करने के लिए आशयित है ;

(दो) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा १० के अधीन कर संदाय नहीं करता है ;

(तीन) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर निवेश प्रतिदेय कर के लिए पात्र है ;

(चार) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रुप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में है ; और

(पाँच) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे।

(७) उप-धारा (३) उप-धारा (४) और उप-धारा (६) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए।

फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध।

१४१. (१) जहाँ कोई इनपुट, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रुप में आगे और प्रसंस्करण, जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रुप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को फुटकर काम के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह महीनों के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है :

परंतु, छह महीनों की अवधि पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर दो महीनों से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि, यदि ऐसा निवेश छह महीनों की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा १४२ की उप-धारा (८) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा।

(२) जहाँ कोई अर्द्ध तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात्, इस उप-धारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह महीनों के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह महीनों की अवधि को दो महीनों से अनधिक अवधि तक बढ़ाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि, यदि उक्त माल को इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा १४२ की उप-धारा (८) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि, मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, नियत दिन से भारत में कर के संदाय पर किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को, वहाँ से आगे उनका कहीं और प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए या, यथास्थिति, छह महीनों के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा।

(३) जहाँ कारबार के स्थान पर कोई विनिर्मित किया गया उत्पाद-शुल्क योग्य माल विर्निमाता को बिना बताए किसी अन्य प्रक्रिया अथाव बाहर परिक्षण कराए जाने हेतु शुल्क के बिना संदाय के किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत किये गये दिनांक और ऐसे माल के लिए पूर्व में उक्त स्थान पर अथवा नियत किये गये दिनांक के पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर, संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियुक्त दिनांक से छह महीनों के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह महीनों की अवधि को, आयुक्त द्वारा दो महीनों से अनधिक की आगे और अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि, यदि उक्त माल को इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा १४२ की उप-धारा (८) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि, मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, भारत में कर के संदाय पर उक्त अन्य परिसरों में उक्त मालों को, या, इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अंतरित कर सकेगा।

(४) उप-धारा (१), उप-धारा (२) और उप-धारा (४) के अधीन कर, उस समय संदेय नहीं होगा, यदि केवल विनिर्माता और कार्य-कर्मकार यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररुप और रीति में नियत दिनांक पर विनिर्माता की औऱ से कार्य-कर्मकार द्वारा स्टाक में रखे माल अथवा निवेश के ब्यौरे में घोषणा करेगा।

प्रक्रीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध।

१४२. (१) जहाँ किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, नियत दिनांक से पूर्व छह महीने अपेक्षा पूर्व का समय ना हुआ हो, नियत दिनांक के पश्चात् अथवा कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्यमान विधि के अधीन देय शुल्क के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहाँ ऐसा माल नियत दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को वापस किया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी के समाधान होने पर पहचान की जारी है :

परन्तु यह कि, उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी आपूर्ति के लिए समझी जाएगी।

(२) (क) जहाँ, नियत दिनांक से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिनांक के पश्चात् अथवा उससे पूर्व ऊपर की और पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे पुनरीक्षित कीमत की ३० दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को पाने के लिए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनों के जारी किए जाने का उपबंध किया गया था या हटा दिया गया था तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को इस नियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा।

(ख) जहाँ, नियत दिनांक से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनों की कीमत नियत दिनांक के पश्चात् अथा उससे पूर्व नीचे की और पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने मालों का विक्रय किया था, ऐसे पुनरीक्षित कीमत की ३० दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को पाने के लिए ऐसे माल या सेवा अथवा दोनों के जारी किए जाने का उपबंध किया गया था या हटा दिया गया था तथा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को इस नियम के अधीन की गई बाहरी आपूर्ति के संबंध में जारी किया समझा जाएगा :

परन्तु यह कि, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, केवल प्रत्यय नोट के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि प्रत्यय नोट के पाने पर दायी कर के ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घट जाता है।

(३) विद्यमान विधि के अधीन कैनवैट प्रत्यय, शुल्क, कर लाभ अथवा कोई अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में जमा करेगा और उसके लिए प्रोदभूत की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद संदेय किया जाएगा :

परन्तु यह और कि, जहाँ इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरुप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह कि, कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहाँ नियत दिनांक के रुप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(४) नियुक्त दिनांक के पश्चात् अथवा उसके पूर्व निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन किसी शुल्क अथवा संदेय कर के प्रतिदाय हेतु नियत दिनांक के पश्चात् फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विद्यमान विधि के अनुसरण में जमा किया जाएगा :

परन्तु यह कि, जहाँ इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरुप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी :

परन्तु यह और कि, कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत दिनांक के रुप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(५) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रुप में स्वीकार्य नहीं होगी।

(६) (क) आशयित इनपुट कर प्रत्यय हेतु दावे के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनःर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिनांक के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो तथा दावा करने के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी :

परन्तु यह कि, कोई प्रतिदाय दावा ईनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत के दिनांक के रुप में उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(ख) आशयित इनपुट कर प्रत्यय के वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिनांक के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में जमा की जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रुप में वसूल योग्य है उसी रुप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रुप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई अधीन कर के किसी बकाया के रुप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन निवेशकर प्रत्यय के रुप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(७) (क) आशयित बाहरी शुल्क अथवा देय कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिनांक पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में जमा की जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रुप में वसूल योग्य है उसी रुप में विद्यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन शुल्क अथवा कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आशयित बाहरी शुल्क अथवा दायी कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की कार्यवाही चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिनांक पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में जमा की जाएगी तथा कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(८) (क) जहां किसी आवर्ती अथवा संस्थित की गई कार्यवाही के न्यायनिर्णयन के अनुसरण में चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत दिनांक पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, कोई कर, लाभ जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति से वसूल योग्य हो, विद्यमान विधि के अधीन तब तक वसूल योग्य नहीं होगी जब तर इस अधिनियम के अधीन कर का बकाया वसूल न कर लिया जाए तथा इस प्रकार वसूली योग्य रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां किसी आवर्ति अथवा संस्थित की गई कार्यवाही के न्यायनिर्णयन के अनुसरण में चाहे वह विद्यमान विधि के अधीन नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, कोई कर, लाभ जुर्माना अथवा शास्ति की रकम कर योग्य व्यक्ति को प्रतिदाय की गई हो विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(९) (क) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन तैयार की गई हो, नियत दिनांक के पश्चात् पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूल योग्य पायी जाती है अथवा कैनवैट प्रत्यय की रकम अननुज्ञेय पायी जाती है, विद्यमान विधि के अधीन तब तक वसूल नहीं की जाएगी जब तक इस अधिनियम के अधीन कर का बकाया वसूल नहीं किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन तैयार की गई हो, नियत दिनांक के पश्चात्, परन्तु विद्यमान विधि के अधीन ऐसे पुनरीक्षण के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पुनरीक्षित, की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम प्रतिदाय की जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय किसी कर योग्य व्यक्ति के लिए स्वीकार्य पाई जाती है, विद्यमान विधि के अधीन तब तक प्रतिदाय नहीं की जाएगी, विद्यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूलता के होते भी, नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(१०) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत दिनांक के पश्चात् अथवा माल या सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा।

(११) (क) धारा १२ में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा वह कर (महाराष्ट्र) मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहीत किया गया था। सन् २००५ का महा. ९।

(ख) धारा १३ में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन माल पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा वह वित्त अधिनियम, १९९४ के अध्याय ५ के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था। सन् १९९४ का ३२।

(ग) जहां (महाराष्ट्र) मूल्यवर्धित कर अधिनियम और वित्त अधिनियम, १९९४ के अध्याय ५ के अधीन दोनो से किसी आपूर्ति पर देय था, ऐसा कर इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत दिनांक के पश्चात् किए गए प्रदायों के विस्तार के लिए विद्यमान विधि के अधीन मूल्यवर्धित कर या सेवा कर के प्रत्यय को देने लिए हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसी विहित की जाए गणना की जाएगी। सन् १९९४ का ३२। सन् २००५ का महा. ९।

(१२) जहां कोई माल नियत दिनांक के पूर्व छह महीनों से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, वहा क्रेता द्वारा वापस किया जाता है अथवा अनुमोदन नहीं किया जाता है और नियत दिनांक के पश्चात् अथवा उस दिनांक को विक्रेता को वापस किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत दिनांक से छह महीनों की अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह महीनों की अवधि को दो महीनों से अनधिक अवधि तक बढाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि, कर माल के वापस किए जाने वाले व्यक्ति को देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर लिए दायी होता है तथा इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाता है :

परन्तु यह भी कि, कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया जाता है।

सन् २००५ का महा. अधि. क्र. ९।

(१३) जहां प्रदायकर्ता ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिसके संबंध में महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर, २००२ के अधीन स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत दिनांक के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा ५१ के अधीन स्त्रोत पर उक्त धारा के अधीन कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय नियत दिनांक के पश्चात् किया जाता है।

(१४) जहां प्रधान के कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा, अर्थात् :—

(एक) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है;

(दो) प्रकर्ता और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररुप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए;

(तीन) ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह माहों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे; और

(चार) प्रकर्ता ने या तो ऐसे,—

(क) मालों ; या

(ख) पूंजी मालों,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया हैं या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है।

सन् २००५ का महा. ९।

स्पष्टीकरण— इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "पूंजी माल" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका महाराष्ट्र मूल्यावर्धीर्ति कर २००२ में हैं।

अध्याय इक्कीस

संकीर्ण

छुटपुट कार्य की प्रक्रिया।

१४३. (१) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" के रूप में निवेशित किया गया है)। ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए और सूचना के अधीन छुटपुट कार्य के लिए छुटपुट कार्य को बिना कर के संदाय के कोई निवेश अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पश्चात्वर्ती रूप में अन्य छुटपुट कार्य को भेज सकता है, और—

(क) छुटपुट कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी लाभ कर के संदाय के बिना, कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा ;

(ख) छुटपुट कार्य या अन्यथा के पूरा हो जाने के पश्चात् निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी लाभ कर के संदाय के बिना, भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर से संदाय के बिना अर्थात उसके साथ जैसी स्थिति हो, कर के संदाय पर छुटपुट कर्मकार के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष के भीतर, आपूर्ति करेगा :

परन्तु यह कि, प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान उस दशा के सिवाए कारबार के अतिरिक्त स्थान की घोषणा नहीं करता है—

(एक) जहां छुटपुट कर्मकार धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ; अथवा

(दो) जहां प्रधान ऐसे माल की आपूर्ति में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(२) निवेश अथवा पूंजी लाभ के लिए लेखाओं का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगी।

(३) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया निवेश उप-धारा (१) के खंड (क) के अनुसरण में छुटपुट कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता हैं अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उप-धारा (१) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती हैं, उसे यह समझा जाएगा कि ऐसे निवेश की छुटपुट कर्मकार के लिए कर्ता द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त निवेश बाहर भेजे गए थे।

(४) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी लाभ उप-धारा (१) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उप-धारा (१) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आपूर्ति नहीं की जाती है, इसे यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी लाभ छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आपूर्ति की गई थी उस दिन जब उक्त पूंजी लाभ बाहर भेजे गए थे।

(५) उप-धारा (१) और उप-धारा (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपशिष्ट और छुटपुट कार्य के दौरान उत्पादित स्क्रेप कर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे छुटपुट कर्मकार के द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, यदि ऐसा छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा कर्ता द्वारा यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण—छुटपुट कार्य के प्रयोजनों हेतु निवेश में कर्ता या किसी छुटपुट कर्मकार द्वारा निवेश पर लाए गए किसी उपाय या कार्रवाई से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित है।

कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा, छूट प्राप्त करना।

१४४. जहां कोई दस्तावेज—

(एक) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं ; अथवा

(दो) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रण क्या गया है ; अथवा

(तीन) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, उसके विरुद्ध अभियोजन द्वारा निविदत्त किया गया हो, न्यायालय—

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी।

(एक) ऐसे दस्तावेज की अंर्तवस्तु की सत्यता ;

(दो) यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य, किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तालिखित किया गया हो और ऐसे निष्पादित या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य निष्पादन या अभिप्रमाणन किया गया हो ;

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यक्तः स्टांपित नहीं है, में दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है।

दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्युटर प्रिंट आउट की माईक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता।

१४५. (१) तत्समयप्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए—

(क) ऐसे माईक्रोफिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुर्नउत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्म (चाहे वह बडी हो अथवा नहीं) ; या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

(ग) किसी दस्तावेज में अर्न्तविष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्युटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाए ; या

(घ) किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रोनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्ड प्रतियां भी शामिल है,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजनों के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राह्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा।

(२) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र—

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अर्न्तविष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे लिया गया है ;

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियाँ को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्युटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाण पत्र में कथित किसी मामलें का साक्ष्य होगा और इस उप-धारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामलें में पर्याप्त होगा।

सामान्य पोर्टल।

१४६. सरकार, परिषद की सिफारशों पर रजिस्ट्रीकरण प्रसुविधा, कर के संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण एकीकृत कर की संगणना और समाधार, इलैक्ट्रोनिक माध्यम से बिल और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाए के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

निर्यात समझा जाना।

१४७. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत नहीं छोड़ता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय भारतीय रुपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विर्निमित किया गया है, कतिपय माल की पूर्ति को नियति के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगी।

कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति।

१४८. सरकार, परिषद की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों और ऐसे कराधेय व्यक्तियों, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है, द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी।

माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग।

१४९. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समानुदेशित कर सकेगी।

(२) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा।

(३) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को अवधारित अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति जो विहित की जाए पब्लिक डोमेन में भी रखी जा सकेगी।

सूचना विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता।

१५०. (१) कोई व्यक्ति—

(क) कोई कराधेय व्यक्ति होने के कारण ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य पब्लिक निकाय या संगम होने के कारण ; या

(ग) मूल्य संवर्धित कर या विक्रय कर या राज्य आउटपुट कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारण ; या

(घ) आय कर अधिनियम, १९६१ के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारण ; या — सन् १९६१ का ४३।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५क के खंड (क) के अर्थ के अंतर्गत कोई बैंक कंपनी ; या — सन् १९३४ का २।

(च) विद्युत अधिनियम, २००३ या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञाप्तिधारक ; या — सन् २००३ का ३६।

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ की धारा ६ के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ; या — सन् १९०८ का १६।

(ज) कंपनी अधिनियम, २०१३ के अर्तान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार ; या — सन् २०१३ का १८।

(झ) मोटर यान अधिनियम, १९८८ के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रार करने को सशक्त करने वाला रजिस्टर करने वाला प्राधिकारी ; या — सन् १९८८ का ५९।

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ ; या — सन् २०१३ का ३०।

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, १९५६ की धारा २ के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज ; या — सन् १९५६ का ४२।

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, १९९६ की धारा २ के उप-धारा (१) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट निक्षेपागार ; या — सन् १९९६ का २२।

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ३ के अधीन यथा गठित भारतीय रिजर्व बँक का कोई अधिकारी ; या — सन् १९३४ का २।

सन १९३४ का २।

(ढ) कंपनी अधिनियम, २०१३ के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क ; या

सन २०१३ का १८।

(ण) धारा २५ की उप-धारा (९) के अधीन किसी व्यक्ति, को प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्या ; या

(त) सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर, यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति ;

जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, लेखा रजिस्ट्रीकरण या विवरण या कोई आवधिक विवरणी या कर और माल या सेवा के संव्यवहार के अन्य ब्यौरों के अंतर्दिष्ट संदाय के दस्तावेज या दोनों या किसी बँक खाता से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या क्रम या विक्रय के संव्यवहार या माल या संपत्ति का आदान प्रदान या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररुप या रीति में और यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के संबंध में उसकी सूचना की विवरणी भरने का उत्तरदायित्व होगा।

(२) जहां आयुक्त या उसकी और से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई उस सूचना जो त्रुटिपूर्ण है, को विचार में लेगा, वह त्रुटिपूर्ण ऐसी सूचना विवरण भरने वाले उस व्यक्ति को सूचित करेगा और उसको ऐसी सूचना के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर या जो कि उसकी और से किया गए आवेदन पर ऐसी और अवधि के भीतर त्रुटिपूर्ण के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, उक्त प्राधिकारी अनुज्ञात करेगा और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या उसे अनुज्ञात की गई अवधि के भीतर नहीं किया गया है, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(३) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उप-धारा (१) या उप-धारा (२) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे सूचना परिदान के दिनांक से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा ।

सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति।

१५१. (१) आयुक्त, यह विचार करता हौ कि इसे दिया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, उससे संबंधित या इस अधिनियम के संबंध में किसी मामले से संबंधित सांख्यिकी का संग्रहण करने का निर्देश दे सकेगा ।

(२) ऐसी सूचना जारी करने पर, आयुक्त या उसकी और से या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यथा विहित, ऐसे प्ररुप और रीति में उन सांख्यिकियों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुला सकेगा ।

सूचना के प्रकटन पर वर्जन।

१५२. (१) धारा १५० या धारा १५१ के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात के संबंध में किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, बिना सहमति के अनुरुप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना, ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी ताकि विशिष्ट व्यक्ति यथा विनिर्दिष्ट पहचान किए गए ऐसी विवरणी को सक्षम बना सके और ऐसी सूचना इस अधिनियम ते अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी।

(२) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कंम्प्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को धारा १५१ में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उसकी पंहुच तक को अनुज्ञात करेगा।

(३) इस धारा की किसी बात का कराधेय व्यक्ति वर्ग या संव्यवहार वर्ग से संबंधित कोई सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगा, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछहनीय है।

किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना।

१५३. सहायक आयुक्त की पंक्ति से कम नहीं कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संवीक्षा, जांच अन्वेषण या कोई अन्य प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति।

१५४. आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह यह विचार करता है कि यह आवश्यक है किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और लिए गए किसी भी नमूनों की रसीद उपलब्ध कराएगा।

सबूत का भार।

१५५. जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह उस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिये पात्र है, एसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा।

व्यक्ति लोक सेवक समझ जाएगा।

१५६. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभा व्यक्ति, भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थान्तर्गत आने वाले लोक सेवक समझे जाएंगे। सन् १८६० का ४५।

इस अधिनियम के अधीन की गई कारवाई का संरक्षण।

१५७. (१) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन की गई कोई बात या सद्भाव में किए जाने को आशियत के लिए या अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएगी।

(२) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव में की गई कोई बात या किए जाने को आशयित के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई व्यक्ति के विरूद्ध नहीं की जाएगी।

लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना।

१५८. (१) इस अधिनियम के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए विवरण, दी गई विवरणी या लेखा या दस्तावेजों या (दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से भिन्न) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य का कोई अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के किसी अभिलेख में अंतर्विष्ट सभी विवरणों को उप-धारा (३) में यथा उपबंधित के सिवाय प्रकट नहीं किया जाएगा।

(२) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय, उप-धारा (३) में यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट विवरण के संबंध में उसके पेश किए जाने से पहले या साक्ष्य दिए जाने से पहले इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी से अपेक्षा नहीं करेगा। सन् १८७२ का १।

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के,— सन् १८६० का ४५। सन् १९८८ का ४९।

(क) भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में कोई विशिष्टियां ; या

(ख) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कार्यकारी कोई व्यक्ति कोई विशिष्टियां ; या

(ग) किसी नोटिस के तामिल या किसी मांग की वसूली के लिए कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्ण कार्य द्वारा जहां ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां ; या

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहयों में एक सिविल न्यायालय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यावहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसा कोई प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है की कोई विशिष्टियां ; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति की लेखापरीक्षा या कर अधिरोपित की वसूली के प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां ; या

(च) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी जांच करने के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे विवरण सुसंगत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जांच अधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति या नियुक्त व्यक्ति के कोई विशिष्टियां ; या

(छ) कर या शुल्क का उदग्रहण करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के प्रयोजन के लिए यथा आवश्यक, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी की कोई ऐसी विशिष्टियां ; या

(ज) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन उसकी या उसकी शक्तियाँ कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण कार्य द्वारा जब ऐसे प्रकटन के कारण कोई विशिष्टियां ; या

(झ) किसी विधि व्यवसाय, किसी लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या, यथास्थिति, कंपनी सचिव के व्यवसाय में व्यवसायरत सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी को सशक्त किए जाने के लिए विधि व्यवसाय अधिवक्ता, कर व्यवसायिक, लागत लेखाकार चार्टर्ड अकाउंटेंट ; कंपनी सचिव के व्यवसाय में लगे हुए के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों के संबंध में अवचार के आरोपी में की गई जांच से संबंधित कोई विशिष्टियां ; या

(ञ) डाटा प्रविष्ट या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग या प्रकट करने की संविदा आबद्ध नहीं है, किसी अभिकरण का नियुक्त किए जाने की कोई विशिष्टियां ; या

(ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजनों के लिए यथा आवश्यक सरकार के किसी अधिकारी की कोई विशिष्टियां ; या

(ठ) प्रकाशन के लिए किसी कराधेय व्यक्तियों के प्रवर्ग या संव्यवहार के वर्ग की ऐसी सूचना का प्रकाशन यदि, आयुक्त की राय में यह लोकहित में वांछहनीय है, से संबंधित कोई सूचना, को प्रकटन करने को लागू होगी।

कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन।

१५९. (१) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि ऐसे व्यक्तियों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम और कोई अन्य विशिष्टियां का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है, जो वह ठीक समझे, ऐसी रीति में ऐसे नाम और विशिष्टियों का प्रकाशन कर सकेगा।

(२) इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में की जाती है जब तक धारा १०७ के अधीन अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए समय किसी अपील को प्रस्तुत किए बिना अवसान हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम, फर्म के भागीदारी का नाम, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधको या, यथास्थिति, सदस्यों का संगम की दशा में; प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति न्यायोचित ठहराई गई है।

कतिपय स्तरों पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना।

१६०. (१) इस अधिनियम के किसी उपबंधों के अनुसरण में कोई निर्धारण पुनःनिर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुनःर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई अन्य कार्यवाहियां, प्रतिग्रहण, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया अविधिमान्य या या उसें किसी गलती, त्रुटी या लोप होने के कारण अविधिमान्य समझा नहीं जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःर्निधारण, न्यायनिर्णयन, पुनःर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के आशय, प्रयोजन और अपेक्षा अनुरूपता या के अनुसरण में सार और प्रभाव हैं।

(२) नोटिस आदेश या संचार की तामील, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि नोटिस, आदेश या यथास्थिति, संचार उस व्यक्ति को पहले ही पहुंचा दिया गया है जिसके नाम उसे जारी किया गया है जहां ऐसे तामिल प्रश्नगत नहीं किया गया है या ऐसे नोटिस, आदेश या संचार के अनुसरण में पूर्व प्रारंभिक कार्यवाहयां चालू और अतिक्रम में की गई हो।

अभिलेख पर प्रकट त्रुटिओंका परिशोधन।

१६१. धारा १६० के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधो में अंतर्विष्ट किसी अन्य बातों के होते हुए भी कोई प्राधिकारी, जो किसी पारित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में किसी त्रुटी का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है, या तो उसके स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर या जहां ऐसी त्रुटियां इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र था कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के दौरान प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी जानकारी में लाई जाती है :

परंतु यह कि, ऐसे परिशोधन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने के दिनांक से छह महीने की अवधि के पश्चात् किया जाएगा :

परंतु यह और कि, उक्त छह महिने की अवधि ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जहां परिशोधन लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि, किसी घटनावश चूक या लोप से उदभूत संशोधन के स्वरूप में शुद्धता की गई हो :

परंतु यह भी, कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन के प्रतिकूल प्रभावित है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धता का ऐसे परिशोधन किए जाने का प्राधिकारी द्वारा पालन किया गया हो।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन।

१६२. धारा ११७ और ११८ में यथा, उपबंधित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या किया गया तात्पर्यित है से संबंधित कार्यवाही करना या किसी प्रश्न से उदभूत विनिश्चय की अधिकारिता नहीं होगी।

फीस उदग्रहण।

१६३. जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति उस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथा विनिर्दिष्ट ऐसी फीस संदत्त की जाएगी।

नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति।

१६४. (१) सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के उपबंधों पर साधारणतया प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, सभी या इस अधिनियम द्वारा कोई भी मामले जो अपेक्षित है या विहित किया गया है या उन उपबंधों के संबंध में जो किए जाने है या नियमों द्वारा बनाए जा सके, नियम बना सकेगी।

(३) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में या उनमें से किन्ही को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी जो उस दिनांक से पूर्ववर्ती दिनांक नहीं होगी जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते है।

(४) उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के अधीन बनाए गए कोई नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार से अनाधिक शास्ति लगाए जाने के दायी का उपबंध कर सकेगा।

विनियम बनाने की शक्ति ।

१६५. आयुक्त इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

१६६. इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने के पश्चात्, राज्य विधान-मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या अनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मंडल नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या राज्य विधान-मंडल इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, विनियम या अधिसूचना उसके बनाए जाने के पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या, यथास्थिति, प्रभावी रहेगी ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

१६७. आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई है, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण या कार्यालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए किसी और प्राधिकरण या कार्यालय द्वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकेगा।

अनुदेशों या निदेशों को जारी करना।

१६८. आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को जो उचित समझे ऐसा आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का संप्रेक्षण और पालन करेंगे।

कतिपय परिस्थितियों में नोटिस की तामील।

१६९. (१) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्वारा तामील की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रेषिती कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे किसी व्ययस्क व्यक्ति को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्वारा ;

(ख) व्यक्ति, जिससे आशयित है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई है, उसके कारबार या निवास का अंतिम स्थान जो जानकारी में है, को जिससे अभिस्वीकृति देय है रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा ;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर संशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा ;

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा ;

(ङ) परिक्षेत्र जहाँ, कराधेय व्यक्ति या व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया था, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या व्यैयक्तिक तौर पर अभिलाभ के लिए कार्य करता था, समाचारपत्र में प्रकाशन करके प्रचालन द्वारा ;

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो संबद्ध कार्यालय या प्राधिकरण जिसने या जिसके द्वारा ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी किया गया है, के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा तामील की जाएगी।

(२) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी दिनांक को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उप-धारा (१) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई।

(३) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो सामान्यतः जितनी अवधि ऐसी डाक को पहुंचने में लगती है, के अनुसार प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता।

कर का पूर्णांकन आदि।

१७०. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित होगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रूपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

मुनाफाखोरी निरोध उपाय।

१७१. (१) किसी माल या सेवाओं या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे पर कर की दर में किसी कमी को मूल्यों में अनुरूप कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दे दी जाएगी।

(२) केन्द्रीय सरकार, यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग ईनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामतः माल और सेवाओं या उसके द्वारा प्रदाय किए गए दोनों के मूल्यों में अनुरूप कमी हुई है, परिषद की सिफारिशों पर, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण का गठन या किसी विद्यमान प्राधिकरण को सशक्त बना सकेगी।

(३) उप-धारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकरण, यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

कठिनाईयाँ का निराकरण।

१७२. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार परिषद की सिफारिशों पर, किसी साधारण या किसी विशेष आदेश शासकीय **राजपत्र** में प्रकाशित कर ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई के दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, उस कठिनाई को दूर कर सके ऐसे उपबंध कर सकेगी :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन।

१७३. (१) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक को और से निम्न विधियाँ, एतद्द्वारा, निरसित की जाती है, (जिसे इसमें आगे, "निरसित अधिनियम" कहा गया है), अर्थात् :—

(क) महाराष्ट्र दांव लगाना कर अधिनियम, १९२५।	सन् १९२५ का ६।
(ख) महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२।	सन् १९६२ का महा. ९।
(ग) महाराष्ट्र विज्ञापन कर अधिनियम, १९६७।	सन् १९६७ का महा. १८।
(घ) महाराष्ट्र वन विकास (सरकार या वन विकास निगम द्वारा वन उपज के विक्रय पर कर) अधिनियम, १९८३।	सन् १९८३ का महा. २२।
(ङ) महाराष्ट्र सुखसाधन पर कर अधिनियम, १९८७।	सन् १९८७ का महा. ४१।
(च) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९८७।	सन् १९८७ का महा. ४२।
(छ) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२।	सन् २००३ का महा. ४।
(ज) महाराष्ट्र लाटरी पर कर अधिनियम, २००६।	सन् २००६ का महा. ४३।

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या, यथास्थिति, अनुमति किन्ही निरसित अधिनियमों या ऐसे निरसित उपबंधों के अधीन अनुदत्त की गई है तो, नियत दिन से रद्द समझी जायेगी।

१७४. (१) धारा १७३ में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियमों का निरसन,— व्यावृत्ति।

(क) ऐसे निरसन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) किसी अधिनियमिति या उसके भाग के पूर्व प्रकाशन, इस प्रकार निरसित और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या मुक्त की गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ग) ऐसे निरसित या संशोधित अधिनियमों के अधीन संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों, निरसित अधिनियमों के अधीन के आदेशों, किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व को नहीं करेगा ;

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज, फीस या जुर्माना जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(ङ) किसी अन्वेषण, जाँच, लेखा-परीक्षा निर्धारण, पुनर्निर्धारण, प्रतिदाय, अवधारण, अग्रिम, विनिर्णय, सुधार और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज, फीस, जुर्माना, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, लेखा-परीक्षा निर्धारण, पुनर्निर्धारण, प्रतिदाप, अवधारण, अग्रिम, विनिर्णय, सुधार और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज, जुर्माना, फीस, समपहरण या दंड उद्ग्रहित या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इन अधिनियम को इस प्रकार से निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हे नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त निरसित अधिनियमों या निरसित उपबंधों के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियाँ उक्त निरसित अधिनियमों या निरसित उपबंधों के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ है, को प्रभावित नहीं करेगा ; या

(छ) किसी कर के उद्ग्रहण, विवरणियों, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, अपील, अवधारण, पुनरीक्षण, परिशुद्धि, निर्देश, परिसीमा, लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने और परिसर की तलाशी लेने कार्यवाहियों का अंतरण करने का संदाय और वसूली करने, और परिसर की तलाशी लेने कार्यवाहियों का अंतरण करने का संदाय और वसूली करने, लाभों के संचित मात्रा की परिगणना करते, कर के संदाय से छूट देने और कर के संदाय के लिये देय दिनांक के स्थगन, हकदारी प्रमाणपत्र का रद्दकरण करने, मूल स्रोत में कर के संग्रहण या कटौती करने, प्रतिदाय या किसी प्रतिदाय के किसी कर रोक लेने की मुजराई करने कर के संदाय से छूट देने, सांख्यिकी संग्रहण करने, नियम बनाने की शक्ति, किसी शास्ति का अधिरोपण करने, या ब्याज या किसी राशि समपहरण के प्रयोजन के लिये जहाँ ऐसे कर के उद्ग्रहण, विवरणियों, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, अपील, अवधारण, पुनरीक्षण, परिशुद्धि, निर्देश, परिसीमा, संदाय और वसूली करने, लाभ के संचित मात्रा की परिगणना करने, कर के संदाय से छूट देने और कर के संदाय के लिये देय दिनांक के स्थगन लाने, हकदारी के प्रमाणपत्र का रद्दकरण करने, मूल स्त्रोत में कर के संग्रहण या कटौती करने, प्रतिदाय मुजराई करने, किसी प्रतिदाय छूट को रोक लेने, सांख्यिकी संग्रहण करने, नियम बनाने की शक्ति, परिसीमा, लेखा और दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण करने और जाँच और परिसर की तलाशी लेने, कार्यवाहियों का अंतरण करने, किसी राशि के ब्याज या समपहरण के लिये नियत दिन के सद्य पूर्ण, किसी अवधि से संबंधित चाहे वह उससे संबंधित या उपर्युक्त प्रयोजनों से आनुषंगिक किसी अन्य प्रयोजनों के लिये, उन विधियों (जिसमें उसके किन्ही उपबंधों के अधीन प्रवृत्त बनी रही पूर्वतर विधि सम्मिलित है) और नियत दिन के सद्य पूर्व प्रवृत्त सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, प्ररुपों, प्रमाणपत्रों और सूचनाओं, नियुक्तियों और उन विधियों के अधीन जारी शक्तियों के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम के अन्य उपबंधो के अध्यधीन, जहाँ तक हो सके, लागू होंगी और ऐसी कार्यवाही के संबंध में कर, शास्ति, ब्याज, समपहरण राशि या की गई कर कटौती, यदि कोई हो, नियत दिन के पूर्व या पश्चात् अदा की गई हो या न हो ;

(२) पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महाराष्ट्र साधारण खण्ड अधिनियम की धाराएँ ७ और २५ के उपबंध, इस धारा में निर्दिष्ट किन्ही विधियों के निरसन के संबंध में लागू होंगे, मानों कि, इस प्रकार निरसित विधि उक्त अधिनियम की धारा ७ के अर्थान्तर्गत अधिनियमित थी ।

अनुसूची एक

[धारा ७ देखें]

यदि विचार किये बिना क्रियाकलापों को प्रदाय के रूप में माना जाना

१. जहां ईनपुट कर प्रत्यय का ऐसी आस्तियों पर उपभोग किया गया है, कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान।

२. जब कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में किया गया, धारा २५ में यथा विनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच में माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय :

परंतु यह कि, किसी नियोजन द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार से अनधिक मूल्य का दान दिया गया, को माल या सेवा या दोनों का प्रदाय नहीं माना जाएगा।

३. (क) किसी मालिक द्वारा उसके अभिकर्ता को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता मालिक की और से ऐसे माल का प्रदाय करने का वचन देता है।

(ख) किसी अभिकर्ता द्वारा उसके मालिक को माल का प्रदाय, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है ।

४. कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर संबंधित व्यक्ति या उसके किसी अन्य स्थापन से सेवाओं का आयात ।

अनुसूची दो

[धारा ७ देखें]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाए

१. अंतरण–

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है ;

(ख) उसके हक के अंतरण के बिना, माल में अधिकार का माल में अविभाजित हिस्से का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है ;

(ग) कोई करार जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति जैसी सहमति हुई है कि अनुसार पूर्ण प्रतिफल के संदाय पर भविष्य के दिनांक को हस्तांरित होगा, माल का प्रदाय है।

२. भूमि और भवन–

(क) कोई पट्टा अभिकरण, सुखाचार, भूमि को कब्जा करने की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ख) भवन जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय प्रक्षेत्र पूर्णत: या अंशत: कोई पट्टा या किराए पर देना सेवाओं का प्रदाय है ।

३. व्यवहार या प्रक्रिया–

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है।

४. कारबार आस्तियों का अंतरण–

(क) जहां माल जो कारबार की संपत्ति का भाग है, को व्यक्ति जो कारबार चला रहा रै के निदेशों के अधीन या द्वारा अंतरित या व्ययनित किया जा रहा है जिससे कि वह उन आस्तियों का और हिस्सा न रहें; जो विचारणीय है या नहीं, ऐसे अंतरण या व्ययन, व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है ;

(ख) जहा, व्यक्ति जो कारबार चला रहा है के निदेश के अधीन, माल जो कारबार के प्रयोजन के लिए रखा या उपयोग किया गया, को कारबार के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी निजी उपयोग में लाने के लिए रखा गया या उपयोग कर लिया गया या किसी व्यक्ति को उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया, विचारणीय है या नहीं, ऐसे माल का उपयोग करना या उपलब्धता करवाना, माल का प्रदाय है ;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत हो जाता हैं, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए गए कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसर में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जाएगा, अन्यथा :–

(एक) अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में कारबार का अंतरण ; या

(दो) कारबार व्यैयक्तिक प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा।

५. सेवाओं का प्रदाय–

निम्नलिखित को सेवा का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात् :–

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) समापन प्रमाणपत्र के जारी होने के पश्चात् जहां पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया है, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात्, जो भी पहले हो, के सिवाय प्रक्षेत्र का सन्निर्माण, भवन, सिविल संरचना या उसका कोई भाग, जिसके अंतर्गत क्रेता को विक्रय के लिए आशयित पूर्णत: या अंशत: प्रक्षेत्र या भवन ।

स्पष्टीकरण–इसे खंड के प्रयोजन के लिए–

(१) "सक्षम प्राधिकारी" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण की और से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्ही में से, अर्थात्:–

सन १९७२ का २०।

(एक) वास्तुविद अधिनियम, १९७२ के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद् ; या

(दो) इंजिनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियर ; या

(तीन) क्रमशः शहर का स्थानीय निकाय या कस्बा या गांव या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक, से है ।

(२) "सन्निर्माण" अभिव्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः प्रतिरूपण शामिल है ;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाईन, क्रमादेशन, अनुकूलत, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना ; और

(च) किसी प्रयोजन (किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए या नहीं) नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का उपयोग करने के हक का अंतरण।

६. संयुक्त प्रदाय.— निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:–

(क) धारा २ के खंड (११९) में यथा परिभाषित कार्य संविदा ; और

(ख) किसी सेवा के द्वारा या हिस्से के रूप में या किसी अन्य रीति में जो भी हो, माल, खाद्य वस्तुएं या मानव उपभोग के लिए अन्य चीजे या कोई पेय (मानव उपयोग हेतु शराब द्रवम के अतिरिक्त) जहाँ ऐसा प्रदाय या सेवा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए होता है, का प्रदाय ।

७. माल का प्रदाय.—

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :–

किसी सदस्य को किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा नकद, विरत संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय ।

अनुसूची तीन

[धारा ७ देखें]

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय

१. कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को सेवाएं।

२. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा सेवाएं ।

३. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किए गए कृत्य।

(ख) उस हैसियत में संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा पालन किए गए कर्तव्य ; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय में निदेशक द्वारा और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा जाए।

४. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन की सेवाएं शामिल है ।

५. भूमि का विक्रय और अनुसूची-२ के पैरा ५ के खंड (ख) के अध्यधीन भवन का विक्रय ।

६. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे ।

स्पष्टीकरण—पैरा २ के प्रयोजनों के लिए "न्यायालय" निबन्धन जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय शामिल है।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.